

परिशिष्ट 1.1	राज्य का परिदृश्य (संदर्भ: राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)
-------------------------	-------------------------------------------------------------------

अ. सामान्य आँकड़े		
क्र० सं०	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी०
2	जनसंख्या	
	अ. 2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़
	ब. 2014-15 (अनुमानित जनसंख्या 2014)	21.33 करोड़
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०
	ब. जनसंख्या घनत्व ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 2011-12 ² (बी०पी०एल०) (अखिल भारतीय औसत = 30.00 प्रतिशत)	39.80 प्रतिशत
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	56.27 प्रतिशत
	ब. साक्षरता ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	67.68 प्रतिशत
6	शिशु मृत्युदर 2013 ³ (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 जन्म पर)	50 प्रति 1000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा ⁴ 2009-13 (अखिल भारतीय औसत =67.50 वर्ष)	63.80 वर्ष
8	गिनी गुणांक ⁵	
	अ. ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.29)	0.36
	ब. शहरी (अखिल भारतीय=0.38)	0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 9,76,297 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2005-06 से 2014-15)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी राज्य
		12.30 13.86
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी राज्य
		14.30 15.44
12	जनसंख्या वृद्धि ⁶ (2004-05 से 2013-14)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी राज्य
		17.27 12.76

¹ अंतिम जनसंख्या भारतीय जनगणना सूचना 2011।

² मेथोडोलॉजी फार मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (वर्ष 2011-12 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश किया गया है)।

³ मेथोडोलॉजी फार मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (एस.आर.एस. बुलेटिन, सितम्बर 2014)।

⁴ इकोनोमिक सर्वे वर्ष 2014-15, सारणी 9.1, पृष्ठ A 129।

⁵ गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी। वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश किया गया है।

⁶ जनगणना विभाग द्वारा अनुमानित कुल जनसंख्या 2001-26।

ब. वित्तीय आंकड़						
क्र० सं०	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)				
	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर	2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15		
		सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	
13	क.	राजस्व प्राप्तियाँ	15.76	17.80	16.10	14.99
	ख.	स्वयं का कर राजस्व	15.32	17.08	10.51	11.40
	ग.	करेतर राजस्व	13.53	24.07	10.07	21.19
	घ.	कुल व्यय	15.23	16.68	19.32	17.52
	ड.	पूँजीगत व्यय	14.61	18.05	21.87	62.18
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.10	17.26	14.55	8.03
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.20	15.10	28.73	25.98
	ज.	वेतन एवं मजदूरी	15.23	16.98	11.75	13.22
	झ.	पेंशन	18.70	21.95	12.43	14.26

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2014-15 पर आधारित हैं)

परिशिष्ट 1.2	शासकीय लेखों का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप (संदर्भ : प्रस्तर 1.1 पृष्ठ 1)
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

भाग-अ: शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना

शासकीय लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।

भाग-1 समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग-2 आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-3 लोक लेखे: प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा जाता है एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग-ब: वित्त लेखे का प्रारूप

विवरण सं०	प्रारूप
-----------	---------

वित्त लेखे दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भाग एक में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र, 13 सारांश विवरण और लेख की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है।

खण्ड-I

1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण अनुलग्नक अ रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निर्वहण सहित।
3	संचित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
4	संचित निधि से व्यय का विवरण।
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण।
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण।
7	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण।
8	उत्तर प्रदेश सरकार के निवेशों का विवरण।
9	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण।
10	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण।
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण।
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश।

खण्ड-II	
भाग-I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण।
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
18	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
19	उत्तर प्रदेश सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
20	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण।
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण।
भाग-II (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय।
परिशिष्ट-II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय।
परिशिष्ट-III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)।
परिशिष्ट-IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण।
परिशिष्ट-V	आयोजनागत योजना व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधारित योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)। ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं।
परिशिष्ट-VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माण कार्य वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट-X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान सरकार सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं।
परिशिष्ट-XII	राज्य की वचनबद्ध देयताएं।
परिशिष्ट-XIII	मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अंतिम रूप से नहीं हुआ है।

परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार (संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1 पृष्ठ)
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

		प्राप्तियाँ		संवितरण					
2013-14		2014-15	2013-2014			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	2014-15	
भाग 'अ'									
1,68,213.75	I	राजस्व प्राप्तियों	1,93,421.60	1,58,146.87	I	राजस्व व्यय	1,37,764.87	33,262.45	1,71,027.32
66,582.08		-कर राजस्व	74,172.42	61,983.49		सामान्य सेवाएँ	64,266.13	39.60	64,305.73
				60,756.28		सामाजिक सेवाएँ	34,032.41	26,873.37	60,905.78
16,449.80		- करेतर राजस्व	19,934.80	31,425.17		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	23,911.84	10,037.21	33,949.05
				7,997.63		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,505.77	4,569.96	10,075.73
62,776.70		- संघीय करों में राज्यांश	66,622.91	2,715.80		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,103.46	944.86	2,048.32
				66.48		-सूचना एवं प्रसारण	72.69	1.36	74.05
7,933.79		-आयोजनेत्तर अनुदान	6,808.88	5,546.53		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	673.90	1,091.11	1,765.01
6,595.22		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	6,576.02	1,983.45		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	374.24	658.07	1,032.31
				10,954.44		-समाज कल्याण तथा पोषण	2,319.84	9,570.80	11,890.64
7,876.16		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	19,306.57	66.78		-अन्य	70.67	-	70.67
0.00		वाह्य अनुदान सहायता	0.00	25,710.72		आर्थिक सेवाएँ	28,535.76	6,349.48	34,885.24
				4,604.79		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	3,587.91	2,038.67	5,626.58
				6,595.94		-ग्राम्य विकास	3,340.48	2,951.54	6,292.02
				282.89		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	373.27	373.27

				4,758.12		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,710.59	638.01	5,348.60
				5,256.69		-ऊर्जा	12,265.36	74.82	12,340.18
				486.61		-उद्योग एवं खनिज	786.12	215.27	1,001.39
				3,375.13		-परिवहन	3,170.34	2.89	3,173.23
				35.66		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	17.71	20.08	37.79
				314.89		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	657.24	34.94	692.18
				9,696.38		सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,930.57	-	10,930.57
1,68,213.75		योग	1,93,421.60	1,58,146.87		योग			1,71,027.32
शून्य	II	राजस्व घाटा भाग 'ब' को अग्रषित	शून्य	10,066.88	II	राजस्व आधिक्य भाग 'ब' को अग्रषित	-	-	22,394.28
1,68,213.75		योग	1,93,421.60	1,68,213.75		योग			1,93,421.60
भाग 'ब'									
15,172.42	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	4,020.63	-	III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-
-	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	00	32,862.65	IV	पूंजीगत परिव्यय	8,880.85	44,416.43	53,297.28
				3,463.35		सामान्य सेवाएं	1,166.14	2,842.54	4,008.68
				6,759.50		सामाजिक सेवाएं	61.24	12,693.48	12,754.72
				739.05		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.63	1,384.55	1,385.18
				1,318.17		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.05	1,885.66	1,900.71
				3,473.74		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	43.38	8,440.09	8,483.47
				39.53		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	00	62.32	62.32
				950.92		-समाज कल्याण तथा पोषण	0.25	601.21	601.46
				238.09		-अन्य	1.92	319.65	321.58
				22,639.80		आर्थिक सेवाएं	7,653.47	28,880.41	36,533.88

				518.65		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	818.22	588.24	1,406.46
				1,600.07		-ग्राम्य विकास	(-) 0.42	4,443.36	4,442.94
				779.07		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	00	1,081.99	1,081.99
				2,955.28		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	00	4,093.03	4,093.03
				6,650.17		-ऊर्जा	6,749.02	4,210.94	10,959.96
				3.69		-उद्योग एवं खनिज	6.60	48.15	54.75
				10,051.74		-परिवहन	80.05	14,257.68	14,337.73
				81.13		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	00	147.02	147.02
				00		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	00	10.00	10.00
589.57	V	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	262.48	1,473.34	V	संवितरित ऋण तथा अग्रिम-	1,071.87	800.77	1,872.64
422.25		-विद्युत परियोजनाओं से	109.71	00		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	-	-	-
90.22		-सरकारी कर्मचारियों से	96.61	107.12		-सरकारी कर्मचारियों को	102.74	-	102.74
77.10		-अन्य से	56.16	1,366.22		-अन्य को	969.13	800.77	1,769.90
10,066.88	VI	अधोनीत राजस्व अधिशेष	22,394.28	-	VI	अधोनीत राजस्व घाटा	-	-	-
14,900.45	VII	लोक ऋण प्राप्तियां	35,520.28	8,166.74	VII	लोक ऋण की अदायगी	9,411.21	-	9,411.21
14,502.48		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	33,302.35	6,693.35		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	8,050.64	-	8,050.64
8.07		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	1,731.95	8.07		-अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेन देन	-	-	00
-		-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन	00	-		-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन	-	-	00
389.90		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	485.98	1,465.32		-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,360.57	-	1,360.57
-	VIII	आकस्मिकता निधि से विनियोग	-	-	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-

262.32	IX	आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि	0.55	86.55	IX	आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	203.15
2,26,077.56	X	लोक लेखा प्राप्तियां	2,30,199.19	2,20,459.29	X	लोक लेखा संवितरण	-	-	2,28,014.45
9,659.91		-अल्पबचतें एवं भविष्य निधियां	9,987.94	7,297.12		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	-	-	8,301.56
12,975.36		-आरक्षित निधियां	9,991.69	5,021.15		-आरक्षित निधियां	-	-	12,685.93
1,62,144.85		-उच्चत एवं विविध	1,66,335.90	1,71,782.91		-उच्चत एवं विविध	-	-	165800.48
23,520.11		-प्रेषण	27,698.35	23,617.81		-प्रेषण	-	-	26,090.77
17,777.33		-जमा तथा अग्रिम	16,185.31	12,740.30		-जमा तथा अग्रिम	-	-	15,135.71
-	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष	-	4,020.63	XI	अंतिम रोकड़ शेष	-	-	(-) 401.32
				#		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	00
				(-)1,156.31		भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-) 1,009.27
				12.48		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	12.60
				5,164.46		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	-	-	595.35
2,67,069.20		योग	4,85,819.01	2,67,069.20		योग			4,85,819.01

(#) ₹ एक लाख से कम धनराशि

परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना (संदर्भ : प्रस्तर 1.1.3 पृष्ठ 6)
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि(+)/ कमी (-)	वृद्धि(+)/ कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	2,26,418.77	1,93,421.60	-32,997.17	-14.57
कर राजस्व	81,000.00	74,172.42	-6,827.58	-8.43
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	47,500.00	42,934.56	-4,565.44	-9.61
राज्य आबकारी	14,500.00	13,482.57	-1,017.43	-7.02
वाहनों पर कर	3,950.00	3,797.03	-152.97	-3.87
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	12,722.66	11,803.34	-919.32	-7.23
सामान एवं यात्रियों पर कर	00	0.55	0.55	0
भू-राजस्व	869.34	527.23	-342.11	-39.35
अन्य कर	1,458.00	1,627.14	169.14	11.60
करेतर राजस्व	20,231.95	19,934.80	-297.15	-1.47
ब्याज प्राप्तियाँ	1,434.90	2,302.82	867.92	60.49
विविध सामान्य सेवाएँ	4,037.81	6,400.41	2,362.60	58.51
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,100.00	1,029.41	-70.59	-6.42
अन्य करेतर राजस्व	13,659.24	10,202.16	-3,457.08	-25.31
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश	76,501.55	66,622.91	-9,878.64	-12.91
भारत सरकार से सहायता अनुदान	48,685.27	32,691.47	-15,993.80	-32.85
राजस्व व्यय जिसमें	1,97,424.88	1,71,027.32	-26,397.56	-13.37
सामान्य सेवाएँ	74,325.18	64,305.73	-10,019.45	-13.48
प्रशासनिक सेवाएँ	16,418.50	13,875.38	-2,543.12	-15.49
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	25,842.64	22,340.46	-3,502.18	-13.55
ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	26,584.28	23,364.53	-3,219.75	-12.11
राजकोषीय सेवाएँ	3,223.48	2,828.96	-394.52	-12.24
सरकार के अंग	2,256.28	1,896.40	-359.88	-15.95
सामाजिक सेवाएँ	75,478.78	60,905.78	-14,573.00	-19.31
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	39,803.61	33,949.05	-5,854.56	-14.71
समाज कल्याण एवं पोषण	13,552.24	11,890.64	-1,661.60	-12.26
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,885.71	1,765.01	-3,120.70	-63.87
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,127.33	10,075.73	-1,051.60	-9.45
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,569.88	2,048.32	-2,521.56	-55.18
सूचना एवं प्रसारण	157.56	74.05	-83.51	-53.00

श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,282.06	1,032.31	-249.75	-19.48
अन्य	100.39	70.67	-29.72	-29.60
आर्थिक सेवाएं	36,582.55	34,885.24	-1,697.31	-4.64
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	6,086.83	5,626.58	-460.25	-7.56
ग्राम्य विकास	8,372.63	6,292.02	-2,080.61	-24.85
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	909.23	373.27	-535.96	-58.95
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,477.21	5,348.60	-1,128.61	-17.42
ऊर्जा	10,404.02	12,340.18	1,936.16	18.61
उद्योग एवं खनिज	839.98	1,001.39	161.41	19.22
परिवहन	2,645.18	3,173.23	528.05	19.96
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	37.93	37.79	-0.14	-0.37
सामान्य आर्थिक सेवाएं	809.54	692.18	-117.36	-14.50
सहायता अनुदान एवं अंशदान	11,038.37	10,930.57	-107.80	-0.98
पूँजीगत व्यय जिसमें	55,986.16	53,297.28	-2,688.88	-4.80
सामान्य सेवाएं	4,277.89	4,008.68	-269.21	-6.29
सामाजिक सेवाएं	14,209.77	12,754.72	-1,455.05	-10.24
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,010.93	1,385.18	-625.75	-31.12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3249.60	1,900.71	-1,348.89	-41.51
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,197.16	8,483.47	1,286.31	17.87
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	147.59	62.32	-85.27	-57.77
समाज कल्याण एवं पोषण	1,286.38	601.46	-684.92	-53.24
अन्य सामाजिक सेवाएं	318.11	321.58	3.47	1.09
आर्थिक सेवाएं	37,498.50	36,533.88	-964.62	-2.57
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	775.61	1,406.46	630.85	81.34
ग्राम्य विकास	4,090.90	4,442.94	352.04	8.61
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,195.94	1,081.99	-113.95	-9.53
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,283.12	4,093.03	-1,190.09	-22.53
ऊर्जा	10,608.23	10,959.96	351.73	3.32
उद्योग एवं खनिज	75.10	54.75	-20.35	-27.10
परिवहन	15,328.53	14,337.73	-990.80	-6.46
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	10.00	10.00	0.00	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	131.07	147.02	15.95	12.17
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	(+) 28,993.89	(+) 22,394.28	-6,599.61	-22.76
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 28,410.98	(-) 32,513.16	4,102.18	14.44
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 9,525.64	(-) 13,648.63	4,122.99	43.28

परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े (संदर्भ : प्रस्तर 1.3; पृष्ठ 10)
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422
(i) स्वयं के कर राजस्व	41,110(37)	52,613 (40)	58,098(40)	66,582(40)	74,172(38)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,837(60)	33,107 (63)	34,870 (60)	39,645(60)	42,934(58)
राज्य आबकारी	6,723(16)	8,139 (15)	9,782 (17)	11,644(18)	13,483(18)
वाहनों पर कर	1,817(4)	2,376 (4)	2,993 (5)	3,441(5)	3,797(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	5,975(15)	7,694 (15)	8,742 (15)	9,521(14)	11,803(16)
भू-राजस्व	1,134(3)	491 (1)	805 (1)	772(1)	527(1)
सामान तथा यात्रियों पर कर	242(1)	5 (0)	1 (0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	382(1)	801 (2)	905 (2)	1,558(2)	1,627(2)
(ii) करेतर राजस्व	11,176(10)	10,145 (8)	12,970 (9)	16,450(10)	19,935(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	43,464(39)	50,351 (38)	57,498 (39)	62,777(37)	66,623(35)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	15,434(14)	17,760 (14)	17,338 (12)	22,405(13)	32,692(17)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	485	133	419	589	262
4. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,11,669	1,31,002	1,46,323	1,68,803	1,93,684
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,394	19,652	15,820	14,900	35,520
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	20,317 (95)	19,336 (98)	15,493 (98)	14,502(97)	33,302(94)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	714(3)	-	31 (0)	8(0)	1,732(5)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	363(2)	316 (2)	296 (2)	390(3)	486(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,33,063	1,50,654	1,62,143	1,83,703	2,29,204
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	40	310	262	1
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,27,649	1,38,449	1,43,478	2,26,078	2,30,199
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,60,712	2,89,143	3,05,931	4,10,043	4,59,404
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,07,676(83)	1,23,885 (84)	1,40,724 (85)	1,58,147(82)	1,71,027(76)
आयोजनागत	21,040(20)	22,616 (18)	25,878 (18)	31,657(20)	33,262(19)
आयोजनेत्तर	86,636(80)	1,01,269 (82)	1,14,846 (82)	1,26,490(80)	1,37,765(81)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	48,019(45)	52,947 (43)	59,907 (43)	61,983(39)	64,305(38)
सामाजिक सेवाएं	39,567(37)	47,391 (38)	53,300 (38)	60,756(39)	60,906(36)
आर्थिक सेवाएं	15,725(15)	18,292 (15)	21,338 (15)	25,711(16)	34,885(20)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4,365(4)	5,255 (4)	6,179 (4)	9,696(6)	10,931(6)
11. पूंजीगत व्यय	20,273(16)	21,574 (15)	23,834 (14)	32,863(17)	53,297(23)
आयोजनागत	19,581(97)	20,735 (96)	22,608 (95)	30,608(93)	44,416(83)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर	692(3)	839 (4)	1,226 (5)	2,255(7)	8,881(17)
सामान्य सेवाएं	1,002(5)	1,144 (5)	1,405 (6)	3,463(10)	4,009(7)
सामाजिक सेवाएं	4,796(24)	5,187 (24)	7,594 (32)	6,760(21)	12,755(24)
आर्थिक सेवाएं	14,475(71)	15,243 (71)	14,835 (62)	22,640(69)	36,534(69)
12. ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान	968(1)	976 (1)	1,003 (1)	1,473(1)	1,873(1)
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,28,917	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,383	8,288	8,909	8,167	9,411
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,369(73)	6,973 (84)	7,514 (84)	6,694(82)	8,051(86)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	714(10)	-	-	8(0)	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,300(17)	1,315 (16)	1,395 (16)	1,465(18)	1,360(14)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोग	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	1,36,300	1,54,723	1,74,470	2,00,650	2,35,608
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	40	310	262	87	203
18. लोक लेखा संवितरण	1,17,473	1,30,971	1,29,472	2,20,459	2,28,014
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	2,53,813	2,86,004	3,04,204	4,21,196	4,63,825
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)3,508	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+) 22,394
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)17,248	(-) 15,433	(-)19,238	(-)23,680	(-) 32,513
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)	(-)3,032	(+) 48	(-)2,317	(-)6,268	(-) 13,648
भाग द. अन्य आंकड़ें					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	14,216	15,481	16,921	17,412	18,865
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	30,683	39,214	43,212	45,576	52,241
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	4	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	4	-	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	5,88,467⁷	6,87,836⁸	7,69,729⁹	8,90,265	9,76,297
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) ब्याज सहित	20,162	21,752	43,337	62,822	70,740
30. अधिकतम प्रत्याभूति राशियाँ (वर्षान्त)	29,778	29,629	50,459	69,752	78,023
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	119	183	383	412	545
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	2,735	2,453	3,393	3,032	7,714

⁷ वर्ष 2010-11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्विक आंकड़े हैं।

⁸ वर्ष 2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अग्रिम आंकड़े हैं।

⁹ वर्ष 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अग्रिम आंकड़े हैं।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के संकेतक

I. संसाधनों का संग्रहण

स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.99	7.65	7.55	7.48	7.60
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.90	1.47	1.69	1.85	2.04
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.39	7.32	7.47	7.05	6.82

II. व्यय प्रबंधन

कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	21.91	21.29	21.51	21.62	23.17
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	115.95	111.89	113.47	114.43	116.94
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83.52	84.60	85.00	82.16	75.61
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	34	36	37	35	33
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	23	23	22	25	32
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	16	15	14	17	24
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	15	14	14	15	22

III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन

राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)0.60	(+)1.02	(+)0.67	(+)1.13	(+)2.29
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.93	(-) 2.24	(-)2.50	(-)2.66	(-) 3.33
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)0.52	(+) 0.007	(-)0.30	(-)0.70	(-) 1.40
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	--	-	-	-	-
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)1.82	(-) 1.24	(-)1.53	(-)0.83	(+)0.36

IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	38	35	34	32	32
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	202	186	178	167	159
प्राथमिक घाटा के सापेक्ष प्रमात्रा विस्तार	(+)23,413	(+) 23,134	(+)10,282	(+)17,695	(-)4,465
ऋण मोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	84	94	101	91	90

V. अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक

निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	26.81	38.17	62.70	5.23	8.08
चालू राजस्व से अवशेष (₹ करोड़ में)	19,530	24,864	26,323	35,617	32,275
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.77	0.81	0.85	0.89	0.97

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।
 @ शासन/मुख्यालय द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाया गया है।

परिशिष्ट 1.6	(अ) वर्ष 2010-15 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2010-15 की अवधि में करेतर राजस्व <i>(सन्दर्भ : प्रस्तर 1.3.1 पृष्ठ 13)</i>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(अ) वर्ष 2010-15 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,837	33,107	34,870	39,645	47,500	42,934
राज्य आबकारी	6,723	8,139	9,782	11,644	14,500	13,483
वाहनों पर कर	1,817	2,376	2,993	3,441	3,950	3,797
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	5,975	7,694	8,742	9,521	12,723	11,803
भू-राजस्व	1,134	491	805	772	869	527
सामान एवं यात्रियों पर कर	242	5	1	1	00	1
अन्य कर	382	801	905	1,558	1,458	1,627
योग (अ)	41,110	52,613	58,098	66,582	81,000	74,172

(ब) वर्ष 2010-15 की अवधि में करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	716	827	1,249	1,624	1,443	2,310
सामान्य सेवायें	5,807	4,907	5,069	3,907	4,886	7,122
सामाजिक सेवायें	3,019	2,662	4,670	7,159	8,117	6,514
आर्थिक सेवायें	1,634	1,749	1,982	3,760	5,786	3,988
योग (ब)	11,176	10,145	12,970	16,450	20,232	19,935
कुल योग (अ+ब)	52,286	62,758	71,068	83,032	1,01,232	94,107

परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2015 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार (संदर्भ : प्रस्तर 1.9.1 एवं 1.9.2 पृष्ठ)
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

31.03.2014 को			31.03.2015 को
देयताएं			
1,56,207.87	आंतरिक ऋण		1,83,191.54
89,154.71	ब्याज सहित बाजार ऋण	1,02,667.36	
2.79	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.77	
9.81	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.43	
67,040.56	अन्य संस्थानों से ऋण	78,783.03	
00	अर्थोपाय अग्रिम	1,731.95	
00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्रापट	00	
15,336.24	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		14,461.65
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94	
86.55	आयोजनेतर ऋण	79.41	
15,228.14	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	14,360.68	
0	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	00	
10.18	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	10.19	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)		600.00
43,434.55	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि		45,120.93
22,806.25	निक्षेप		23,855.22
43,924.04	आरक्षित निधियां		41,229.79
1,321.78	प्रेषण शेष		2,929.37
2,83,630.73	योग		3,11,388.50
परिसम्पत्तियां			
2,35,136.28	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		2,88,433.56
52,466.73	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	58,606.06	
1,82,669.55	अन्य पूंजीगत परिव्यय	2,29,827.50	
86.69	आकस्मिकता निधि (असमायोजित)		289.29
12,456.20	ऋण एवं अग्रिम		14,066.37
2,040.15	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	1,930.43	
10,203.12	अन्य विकास ऋण	11,916.89	
212.93	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	219.05	

45.20	आरक्षित निधियों में निवेश		45.20
9.57	अग्रिम		8.94
1,543.43	उचन्त एवं विविध शेष		1,008.01
4,020.63	रोकड़		(-) 401.32
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-)1,156.31	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-) 1,009.27	
12.05	विभागीय रोकड़ शेष	12.17	
0.43	स्थाई अग्रिम	0.43	
5,164.46	रोकड़ शेष निवेश	595.35	
30,332.73	सरकारी लेखों में घाटा		7,938.45
40,399.61*	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	30,332.73	
10,066.88	(ii) घटाना: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	22,394.28	
2,83,630.73	योग		3,11,388.50

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि *परिशिष्ट 1.7* में प्रदर्शित है, रोकड़ की स्थिति अंकित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लंबित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अर्न्तगत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 45.54 करोड़ (निवल डेविट) का अन्तर था।

* पूर्णांक किये जाने के कारण

परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधियों का विवरण (संदर्भ : प्रस्तर 1.9.3 पृष्ठ 35)
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंतिम शेष
2012-13				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	0.00	0.00	1,848.54
103-मूल्यहास/आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	0.00	0.00	6,290.11
105-मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	126.69	0.00	0.00	126.69
102-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	0.00	0.00	120.50
111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	1,975.23	0.00	0.00	1,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	29,80,966.95	8,26,168.64	3,23,691.26	34,83,444.33
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	29,80,966.95	8,26,168.64	3,23,691.26	34,83,444.33
8223- अकाल राहत निधि	853.50	0.00	0.00	853.50
101-अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102-अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	94,096.38	5,744.65
101-राज्य सड़क तथा सेतु निधि	99,841.03	0.00	94,096.38	5,744.65
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	4,909.77	11.00	0.00	4,920.77
102-सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,909.77	11.00	0.00	4,920.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	42,970.55	71,319.89	60,385.18	53,905.26
101-शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,192.14	133.93	0.00	4,326.07
102-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,084.89	3.95	0.00	1,088.84
105-चीनी विकास निधि	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
106-औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	0.00	0.00	3,022.38
109-सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि	33,666.37	71,182.01	60,385.18	44,463.20
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	22,331.92	66,328.45	47,041.57	41,618.80
101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	483.70	4.80	0.00	488.50
102-जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103-धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105-सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	17,807.74	62,458.00	47,041.57	33,224.17
200-अन्य निधियाँ	3,271.13	3,865.65	0.00	7,136.78
योग	31,51,873.72	9,63,827.98	5,25,214.39	35,90,487.31
महायोग	31,53,848.95	9,63,827.98	5,25,214.39	35,92,462.54

2013-14				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधियां				
8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	00	00	1,848.54
103-मूल्यहास /आरक्षित निधि- सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	00	6,290.11
105-मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	126.69	00	00	126.69
102-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	00	120.50
111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	1,975.23	00	00	1,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधियां				
8222- सिंकिंग फण्ड	34,83,444.33	8,36,424.60	2,94,598.00	40,25,270.93
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	34,83,444.33	8,36,424.60	2,94,598.00	40,25,270.93
8223- अकाल राहत निधि	853.50	00	00	853.50
101-अकाल राहत निधि	931.51	00	00	931.51
102-अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
101-राज्य सड़क तथा सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
102-सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	53,905.26	2,00,066.31	1,44,609.62	1,09,361.95
101-शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,326.07	40.60	39.29	4,327.38
102-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105-चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106-औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109-सहकारी विकास निधि	4.77	00	00	4.77
200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि	44,463.20	2,00,025.71	1,44,570.33	99,918.58
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	41,618.80	50,034.47	62,907.36	28,745.91
101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	488.50	10.04	00	498.54
102-जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103-धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105-सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	33,224.17	48,772.63	62,907.36	19,089.44
200-अन्य निधियां	7,136.78	1,251.80	00	8,388.58
योग	35,90,487.31	12,97,536.38	5,02,114.98	43,85,908.71
महायोग	35,92,462.54	12,97,536.38	5,02,114.98	43,87,883.94

2014-15				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	00	6,290.11	-4,441.57
103-मूल्यहास /आरक्षित निधि- सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	6,290.11	00
105-मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	126.69	00	126.69	0.00
102-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	126.69	-6.19
111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	1,975.23	00	6,416.80	-4,441.57
ब्याज रहित आरक्षित निधियां				
8222- सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
8223- अकाल राहत निधि	853.50	00	931.51	-78.01
101-अकाल राहत निधि	931.51	00	931.51	0.00
102-अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
101-राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
102-सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
8229- विकास एवं कल्याण निधि	1,09,361.95	2,00,565.15	2,65,934.33	43,992.77
101-शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,327.38	2,00,565.14	20,102.35	1,84,790.17
102-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105-चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106-औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109-सहकारी विकास निधि	4.77	0.01	00	4.78
200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58	00	2,45,831.98	-1,45,913.40
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	28,745.91	68,603.79	66,709.73	30,639.97
101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	498.54	586.52	735.56	349.50
102-जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103-धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105-सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,089.44	65,590.58	65,123.45	19,556.57
200-अन्य निधियां	8,388.58	2,426.69	850.72	9,964.55
योग	43,85,908.71	9,99,168.94	12,62,176.35	41,22,901.30
महायोग	43,87,883.94	9,99,168.94	12,68,593.15	41,18,459.73

परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहां प्रत्येक अनुदान/विनियोग में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी <i>(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.3.1 पृष्ठ 48)</i>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
1.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	216.05	35.31	16
2.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	27.40	5.55	20
3.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	85.46	51.13	60
4.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	112.42	45.31	40
5.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	141.79	25.26	18
6.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	295.99	52.92	18
7.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,021.82	425.39	14
8.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	500.54	269.34	54
9.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,974.49	399.75	20
10.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,567.37	2,368.27	36
11.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	717.89	54.12	8
12.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	92.46	19.83	21
13.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1,087.73	34.34	3
14.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	4.77	1.81	38
15.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	243.57	25.35	10
16.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	170.32	31.06	18
17.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	622.41	42.37	7
18.	25	गृह विभाग (कारागार)	523.70	24.61	5
19.	26	गृह विभाग (पुलिस)	11,643.98	994.09	9
20.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	168.70	40.19	24
21.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,192.67	13.43	1
22.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,367.26	672.14	14
23.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	597.08	105.53	18
24.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	280.22	44.58	16
25.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3,626.30	210.71	6
26.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	549.21	190.08	35
27.	37	नगर विकास विभाग	5,547.44	2,762.12	50
28.	40	नियोजन विभाग	311.90	149.94	48
29.	41	निर्वाचन विभाग	250.02	11.54	5
30.	42	न्याय विभाग	1,442.27	330.65	29
31.	43	परिवहन विभाग	165.10	22.00	13

32.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	286.92	47.81	17
33.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,695.26	815.40	48
34.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,170.91	370.04	7
35.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	781.37	176.08	23
36.	51	राजस्व विभाग (द्वैतीय आपदा के संबंध में राहत)	692.81	205.51	30
37.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,897.78	337.40	12
38.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.89	0.72	38
39.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,827.52	1,265.68	69
40.	60	वन विभाग	569.76	67.22	12
41.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	11,043.62	109.64	1
42.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	24,301.73	3,829.53	16
43.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	218.45	47.11	22
44.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	216.45	38.47	18
45.	68	विधान सभा सचिवालय	99.29	11.63	12
46.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	416.95	169.83	39
47.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	27,290.24	4,390.54	16
48.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,254.89	787.75	11
49.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,060.54	422.39	20
50.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	117.52	53.69	46
51.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	284.96	50.45	18
52.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	455.37	222.47	49
53.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	604.03	87.67	15
54.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,510.97	602.33	40
55.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,070.96	1,612.85	32
56.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	124.82	77.87	62
57.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,466.28	2,509.94	27
58.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	3.77	0.94	25
59.	86	सूचना विभाग	168.46	96.00	57
60.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	582.59	73.54	13
61.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)	75.73	27.78	37
62.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,169.10	745.95	24
63.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,217.16	739.30	23
निवल योग			1,58,226.43	29,452.25	
राजस्व भारित					
64.	1	आबकारी विभाग	0.20	0.09	45
65.	2	आवास विभाग	6.50	4.25	65
66.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.06	0.05	83

67.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	0.07	47
68.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.14	100
69.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.02	100
70.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.06	60
71.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.75	0.58	77
72.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.20	100
73.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.26	0.25	96
74.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.02	100
75.	42	न्याय विभाग	273.35	35.31	13
76.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	0.10	100
77.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.17	0.16	94
78.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.19	0.18	95
79.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.03	75
80.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	0.05	0.05	100
81.	60	वन विभाग	0.14	0.07	50
82.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	26,228.78	3,211.79	12
83.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.57	0.30	53
84.	68	विधान सभा सचिवालय	1.25	0.80	64
85.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.03	100
86.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.24	48
निवल योग			26,513.57	3,254.79	
पूँजीगत दत्तमत					
87.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	42.35	37.45	88
88.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	3,421.44	456.88	13
89.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	8.34	2.18	26
90.	9	ऊर्जा विभाग	13,391.74	1,615.00	12
91.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	965.75	286.17	30
92.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,423.68	2,017.90	19
93.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	843.87	74.50	9
94.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	98.58	17.59	18
95.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	67.00	67.00	100
96.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	7,776.51	2,192.04	28
97.	26	गृह विभाग (पुलिस)	865.77	110.84	13
98.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	0.30	0.30	100
99.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,175.19	29.97	3
100.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	639.29	93.86	15
101.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,059.00	1,052.77	99
102.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	7.65	4.20	55
103.	37	नगर विकास विभाग	1,633.20	81.86	5

104.	42	न्याय विभाग	739.13	153.89	21
105.	43	परिवहन विभाग	189.85	13.20	7
106.	44	पर्यटन विभाग	160.07	12.01	8
107.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	255.04	66.08	26
108.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	999.97	640.44	64
109.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	169.66	100.13	59
110.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	274.14	129.41	47
111.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	25.00	14.54	58
112.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	9.16	2.32	25
113.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	100
114.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	270.00	28.82	11
115.	60	वन विभाग	288.68	15.35	5
116.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवार्यें तथा अन्य व्यय)	2,221.40	116.75	5
117.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	100.00	97.63	98
118.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.05	0.03	60
119.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.04	0.04	100
120.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	50.00	15.47	31
121.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	179.99	97.85	54
122.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	659.11	356.71	54
123.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	346.41	69.77	20
124.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	13.36	5.44	41
125.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	115.48	42.67	37
126.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	35.46	20.64	58
127.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,872.63	1,634.76	21
128.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	5.27	1.07	20
129.	92	संस्कृति विभाग	84.29	45.86	54
130.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	5,360.91	664.63	12
निवल योग			62,844.77	12,486.03	
पूँजीगत भारित					
131.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	460.61	41.60	9
132.	42	न्याय विभाग	22.91	8.13	35
133.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.06	0.06	100
134.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	6.00	2.25	38
135.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवार्यें तथा अन्य व्यय)	19,331.18	9,971.46	52
136.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	20.00	4.72	24
निवल योग			19,840.76	10,028.22	
महायोग			2,67,425.53	55,221.29	

परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/ विनियोग के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ.)
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	कुल व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
1.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	4,148.36	4,459.09	7
योग			4,148.36	4,459.09	
राजस्व भारित					
2.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.16	0.27	69
योग			0.16	0.27	
पूँजीगत दत्तमत					
3.	01	आबकारी विभाग	2.43	3.08	27
4.	40	नियोजन विभाग	2,234.44	2,600.69	16
5.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	40.90	88.13	115
6.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	1,297.46	1,430.56	10
7.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	8,761.46	11,191.67	28
योग			12,336.69	15,314.13	
महायोग			16,485.21	19,773.49	

परिशिष्ट 2.3	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6: पृष्ठ)
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
राजस्व दत्तमत						
1.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	212.05	180.74	4.00	31.31
2.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	289.92	243.07	6.07	46.85
3.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,797.56	2,596.44	224.26	201.12
4.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,009.48	4,199.10	557.88	1,810.38
5.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	675.60	663.77	42.29	11.83
6.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	70.08	65.30	4.25	4.78
7.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	78.42	72.62	14.03	5.80
8.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	229.50	218.22	14.07	11.28
9.	22	खेल विभाग	65.04	64.73	6.40	0.31
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	11,641.86	10,649.89	2.12	991.97
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,184.69	1,179.24	7.98	5.45
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,111.43	3,695.13	255.83	416.30
13.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3,618.60	3,415.59	7.70	203.01
14.	37	नगर विकास विभाग	4,978.83	2,785.32	568.61	2,193.51
15.	40	नियोजन विभाग	305.58	161.96	6.32	143.62
16.	41	निर्वाचन विभाग	247.72	238.48	2.30	9.24
17.	42	न्याय विभाग	1,427.27	1,111.62	15.00	315.65
18.	43	परिवहन विभाग	147.64	143.10	17.47	4.54
19.	44	पर्यटन विभाग	36.37	31.97	3.00	4.40
20.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,069.81	4,800.87	101.10	268.94
21.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	779.45	605.29	1.93	174.16
22.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	494.81	487.31	198.00	7.50
23.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,837.78	2,560.38	60.00	277.40
24.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,806.52	561.84	21.00	1,244.68
25.	60	वन विभाग	558.80	502.54	10.95	56.26

26.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	24,296.58	20,472.20	5.15	3,824.38
27.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	27,215.55	22,899.70	74.70	4,315.85
28.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,229.39	6,467.15	25.50	762.24
29.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,042.50	1,638.15	18.04	404.35
30.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	115.43	63.83	2.09	51.60
31.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	589.03	516.36	15.00	72.67
32.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,509.52	908.64	1.45	600.88
33.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	93.03	46.95	31.79	46.08
34.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,315.96	6,956.35	150.33	2,359.61
35.	86	सूचना विभाग	155.96	72.46	12.50	83.50
36.	92	संस्कृति विभाग	52.03	47.68	2.72	4.35
37.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,522.71	2,423.15	646.39	99.56
योग			1,24,812.50	1,03,747.14	3,138.22	21,065.36
राजस्व भारित						
38.	42	न्याय विभाग	263.25	238.04	10.10	25.21
योग			263.25	238.04	10.10	25.21
पूँजीगत दत्तमत						
39.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	22.35	4.90	20.00	17.45
40.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	3,279.78	2,964.56	141.66	315.22
41.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	809.00	679.58	156.75	129.42
42.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	9,025.66	8,405.78	1,398.02	619.88
43.	26	गृह विभाग (पुलिस)	757.80	754.93	107.97	2.87
44.	37	नगर विकास विभाग	1,607.53	1,551.35	25.67	56.18
45.	42	न्याय विभाग	725.63	585.24	13.50	140.39
46.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	241.04	188.95	14.00	52.09
47.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	648.11	302.40	11.00	345.71
48.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	31.72	14.82	3.74	16.90
49.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,691.20	6,237.87	1,181.43	453.33
50.	92	संस्कृति विभाग	78.99	38.44	5.30	40.55
51.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	5,044.86	4,696.29	316.05	348.57
योग			28,963.67	26,425.11	3,395.09	2,538.56
महायोग			1,54,039.42	1,30,410.29	6,543.41	23,629.13

परिशिष्ट 2.4	अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान / विनियोग में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6 पृष्ठ)</i>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	अनुदान / विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिक्य
राजस्व दत्तमत							
1.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	72.20	13.15	85.35	93.06	7.71
2.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	3,398.36	750.00	4,148.36	4,459.09	310.73
3.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	209.54	25.09	234.63	239.33	4.70
योग			3,680.10	788.24	4,468.34	4,791.48	323.14
पूँजीगत दत्तमत							
4.	40	नियोजन विभाग	1,834.44	400.00	2,234.44	2,600.69	366.25
5.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	1,222.46	75.00	1,297.46	1,430.56	133.10
6.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	8,050.46	711.00	8,761.46	11,191.67	2,430.21
योग			11,107.36	1,186.00	12,293.36	15,222.92	2,929.56
महायोग			14,787.46	1,974.24	16,761.70	20,014.40	3,252.70

परिशिष्ट 2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.7 पृष्ठ)
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
1.	01	आबकारी विभाग	2039-001-03	53.95	00	9.19
2.			2039-001-04	15.00	00	0.22
3.			2039-001-05	22.10	27.74	00
4.	02	आवास विभाग	4217-800-05	2,368.54	2,500.00	00
5.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2851-107-03	7.00	00	14.67
6.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-001-05	235.00	2.79	00
7.			2401-109-97	296.00	00	90.00
8.			2415-120-07	50.00	00	50.00
9.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-001-03	130.02	00	0.85
10.			2515-001-04	81.86	1.72	00
11.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	241.30	3.74	00
12.			2403-103-07	25.00	0.22	00
13.			2403-106-03	350.00	00	4.38
14.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-001-03	17.02	00	1.07
15.			2405-190-01	107.55	00	0.01
16.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2075-800-03	6.80	00	1.50
17.	22	खेल विभाग	2204-104-13	165.00	00	0.03
18.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-001-03	0.96	00	0.04
19.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	10.75	00	163.29
20.			2056-101-03	14.73	00	2,277.34
21.			2056-102-03	307.20	00	1.33
22.			4070-800-16	264.00	00	0.70
23.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-116-03	98.44	00	14.06
24.			4055-207-12	2,482.13	1,985.44	00
25.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-103-03	4.00	00	5.41
26.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-110-01	97.53	00	75.05
27.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-110-04	300.00	00	22,130.85
28.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-103-03	1.75	2.70	00
29.			2210-04-103-03	19.60	00	26.97
30.			2210-05-103-03	25.60	22.38	00

31.	37	नगर विकास विभाग	2215-192-04	2,320.61	1,746.44	00
32.			2217-192-04	500.00	00	208.64
33.			2217-193-04	500.00	00	369.98
34.			6215-192-04	7,500.00	1,633.65	00
35.	39	भाषा विभाग	2202-102-08	4.94	00	1.56
36.	40	नियोजन विभाग	2575-800-04	586.20	00	0.79
37.			2575-102-03	13.72	00	15.00
38.			2575-105-04	35.50	00	33.70
39.			2575-101-03	13.53	102.30	00
40.			3451-101-04	109.64	00	0.36
41.			4059-800-03	387.07	104.36	00
42.			4215-101-03	568.57	840.07	00
43.			4575-800-04	10,222.87	00	3,687.12
44.			4575-102-03	24.68	00	2.11
45.			4575-800-10	8.45	32.61	00
46.			5054-337-03	10,383.21	46,026.15	00
47.			4575-102-03	954.50	00	1,000.00
48.			4575-337-03	711.33	00	26.50
49.			4575-800-07	17.26	00	7.04
50.			41	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	126.41
51.	2015-105-04	4.00			00	2.28
52.	2015-103-06	500.00			00	0.64
53.	2015-105-03	1,444.49			00	78.50
54.	2015-106-03	25.64			1.38	00
55.	2015-106-05	327.45			00	0.42
56.	2015-106-06	46.81			00	1.55
57.	42	न्याय विभाग			2014-800-03	40.00
58.			2052-091-03	14.30	00	35.92
59.			2235-200-04	200.00	00	246.02
60.			2014-114-03	71.07	00	49.23
61.	43	परिवहन विभाग	2041-800-03	1.90	00	0.55
62.			3055-001-03	44.90	00	7.61
63.			3055-800-05	500.00	00	5.44
64.	44	पर्यटन विभाग	3452-001-03	27.17	00	231.59
65.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-001-03	33.03	00	0.83
66.			2203-104-15	53.63	00	21.45
67.			2203-105-04	60.00	00	2.29
68.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-800-03	36.50	1,780.63	00
69.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-21	50.56	40.17	00
70.			4059-051-23	105.00	28.47	00

71.			4059-051-24	20.00	4.00	00
72.			4216-700-05	101.35	95.80	00
73.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-03-337-13	8,475.65	3,920.32	00
74.			5054-337-84	350.00	13.99	00
75.			5054-04-337-13	750.00	11,348.10	00
76.			5054-04-337-58	3,468.81	16,385.98	00
77.			5054-04-337-65	69.00	6.90	00
78.			5054-04-337-83	274.74	57.48	00
79.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-04	145.00	00	20.00
80.			2013-800-03	20.00	294.27	00
81.			2059-053-03	75.00	26.99	00
82.			2059-053-04	45.00	37.73	00
83.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-101-36	5,300.00	00	20,216.25
84.			2049-101-34	3,851.20	192.75	00
85.			2049-123-04	34,110.88	0.02	00
86.			2049-101-05	178.51	524.83	00
87.			7610-201-04	500.00	00	722.69
88.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	2071-800-11	1,000.00	00	950.01
89.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-095-03	16.38	00	544.24
90.			2054-097-03	566.84	00	3,822.10
91.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	4250-203-07	95.00	00	784.55
92.			4250-203-05	1,446.49	00	41.00
93.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-101-03	30.00	00	456.63
94.			2202-107-13	2.30	00	16.22
95.			2202-108-04	32.15	00	634.68
96.			2202-109-03	34.04	00	13,477.59
97.			2202-102-03	1,500.00	00	859.56
98.			2202-107-11	5.27	00	4.75
99.			2202-108-03	820.25	00	231.62
100.			2202-109-04	148.20	00	0.87
101.			2202-109-08	1,000.00	00	416.79
102.			2202-800-12	39.76	00	2.10
103.			2202-800-20	519.00	00	203.21
104.			2202-103-04	2,000.00	00	565.63
105.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-103-03	625.00	00	623.23
106.			2202-104-04	50.00	00	50.00
107.			2202-001-03	87.92	00	84.20
108.			2202-001-04	38.00	00	26.67
109.			2202-800-09	94.75	00	8.81

110.	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	2070-107-04	120.90	00	20.54
111.			2070-107-05	26.44	00	98.36
112.			2070-107-03	35.00	41.07	00
113.			4070-800-04	200.00	00	127.13
114.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-001-03	11.83	00	0.85
115.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-102-03	0.55	4.24	00
116.			2210-102-04	0.50	2.81	00
117.			2230-001-03	2.50	00	78.76
118.			2230-101-03	5.43	00	429.60
119.			2230-101-04	33.28	00	524.24
120.			2230-101-05	15.30	00	17.00
121.			2230-103-03	1.50	00	199.19
122.			2230-103-04	0.02	00	277.84
123.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	2230-001-03	2.15	0.17	00
124.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-03	183.50	28.39	00
125.			2013-104-03	200.00	00	89.49
126.			2013-800-03	120.00	00	0.01
127.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-001-03	6.27	9.23	00
128.			2225-277-03	13,133.00	00	26,474.64
129.			2225-277-07	8,075.96	00	24,957.18
130.			2235-101-14	52.34	00	183.88
131.			2235-101-03	166.12	00	51.04
132.			2235-101-06	50.56	00	0.01
133.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2235-796-05	199.98	00	0.05
134.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2230-789-03	86.00	00	28.11
135.			2501-789-02	19,274.67	00	19,274.67
136.			4202-789-01	675.00	00	8,582.12
137.			4250-789-03	30.03	00	38.06
138.			5054-789-04	19,160.00	0.40	00
139.			5054-789-11	6,000.00	00	217.29
140.			5054-789-12	425.10	95.74	00
141.			5054-789-20	295.00	35.74	00
142.			5054-789-23	3,985.80	668.50	00
143.			5054-789-25	295.00	00	564.39
144.	86	सूचना विभाग	2220-001-03	80.00	3.91	00
145.			2220-101-05	400.00	00	8,661.03
146.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-06	3.00	00	2.30

147.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	2040-800-03	235.00	36.80	00
148.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-001-03	90.00	00	1.74
149.	92	संस्कृति विभाग	2205-104-01	13.62	0.01	00
150.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-051-10	294.03	00	2,228.22
151.			4700-05-051-10	500.00	00	3,563.03
152.			4700-08-051-10	39.21	00	735.59
153.			4700-07-051-10	1,500.00	00	614.22
154.			4700-22-051-10	4,000.00	00	7,725.04
155.			4700-97-051-10	2,600.00	00	4,725.79
156.			4701-005-10	1,412.01	00	120.87
157.			4711-103-06	3,240.41	00	1,474.10
158.			4711-103-07	1,046.42	00	174.31
159.			4711-103-08	2,982.99	00	220.29
160.			4711-103-09	5,171.08	00	992.98
161.			4700-19-051-10	700.00	00	68.74
162.			4701-051-10	432.77	14.44	00
163.			4702-102-03	592.10	656.76	00
योग				2,12,462.63	91,390.33	1,89,282.21
				अथवा	अथवा	अथवा
				2,124.63 करोड	913.90 करोड	1,892.82 करोड

परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2014-15 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.8 पृष्ठ)</i>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (प्रतिशत में)	अभ्यर्पण का कारण
1.	1	आबकारी विभाग	2216-700-03 आबकारी विभाग के आवासीय भवनों की मरम्मत व रख-रखाव	10.00	8.41	84	आर्थिक मितव्ययिता के कारण।
2.	4059-051-03 आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था		50.00	32.79	66	लघु निर्माण कार्य हेतु सहायक कार्यालयों द्वारा मांग कम किये जाने के कारण।	
3.	4059-051-05 जनपद संत रविदासनगर में आबकारी गोदाम में कार्यालय भवन का निर्माण		17.49	17.49	100	लेखे में धनराशि की अस्वीकृति एवं कार्यदायी एजेंसी सी एंड डी एस यूनिट-38 उत्तर प्रदेश जल निगम, सोनभद्र द्वारा वर्तमान प्राक्कलन पर कार्य न होने के कारण।	
4.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-23 महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ब्याज उपादान	150.00	150.00	100	अभ्यर्पण योग्य प्रकरणों के न होने के कारण स्वीकृत बजट प्रावधान से व्यय न होना।
5.			2851-102-06 जिला उद्योग केन्द्र	4.00	4.00	100	वास्तविक देयों के आधार पर भुगतान के पश्चात बचत के कारण।
6.			4851-800-04 जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	50.00	50.00	100	वर्ष के अंत तक बजट प्रावधान की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी न होने के कारण।
7.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-103-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	6,384.69	4,737.25	74	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति कम होने के कारण।
8.			4851-103-04 वाराणसी एवं आगरा में बुनकर बाजार	1,500.00	1,350.00	90	साइट के लिए भूमि की अनुपलब्धता से वित्तीय स्वीकृति जारी न किये जाने के कारण।
9.			6860-190-08 यूपिका को कार्यशील पूँजी के लिए ऋण	1,000.00	1,000.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
10.			6860-190-09 उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की कार्यशील पूँजी के लिए ऋण	1,000.00	1,000.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
11.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-202-16 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन	1,600.00	1,551.00	97	धनराशि जारी करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
12.			2852-800-04 निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस-वे परियोजनायें	172.74	172.74	100	ई.पी.सी. सिस्टम के आगरा से लखनऊ इन्ट्री कन्ट्रोल एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना से सम्बन्धित धनराशि न होने के कारण।

13.			2852-800-06 न्यायालयों में वादों की पैरवी	60.00	55.71	93	सभी व्ययों के भुगतान होने के बाद हुई बचत के कारण।
14.			2852-800-08 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश व निजीकरण	655.00	636.50	97	सम्बन्धित विभागों से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
15.			2885-800-03 एन.आर.आई. सेल का गठन	10.00	10.00	100	चालू वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण।
16.			2852-800-19 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 का कार्यान्वयन	2,070.00	2,009.97	97	योजना के अंतर्गत नोडल एजेन्सी यू.पी.एफ.सी. तथा पिकप में प्रस्ताव न होने के कारण।
17.			6860-190-07 आई.टी.आर. कम्पनी, बरेली विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण	9.00	5.69	63	सभी व्ययों के भुगतान होने के बाद हुई बचत के कारण।
18.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2406-112-04 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	59.80	59.80	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
19.			4406-112-03 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	90.20	45.50	50	कारण सूचित नहीं किये गये।
20.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-109-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	20,778.08	14,221.29	68	भारत सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के सापेक्ष अधिक बजट प्रावधान करने के कारण।
21.			2401-109-08 कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	3,290.13	2,237.51	68	कार्य योजना हेतु कम धनराशि के अनुमोदन, सेवा प्रदाता को भुगतान न होने तथा हार्डवेयर हेतु अग्रिम भुगतान के लिए संस्तुति आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण।
22.			2401-111-05 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	949.00	790.00	83	कार्य योजना हेतु विलम्ब से तथा कम धनराशि के अनुमोदन के कारण।
23.			2402-102-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	6,734.27	4,774.51	71	भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण।
24.			2402-102-04 विन्ध्य क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना	100.00	57.94	58	मांग न होने के कारण।
25.			2402-102-11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3,990.00	2,300.36	58	भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण।
26.			4401-190-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,000.00	1,000.00	100	परियोजना का अनुमोदन न होने के कारण।
27.			4401-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	5,289.00	5,289.00	100	भारत सरकार से संस्तुति प्राप्त न होने के कारण।
28.			4401-800-04 कृषि विपणन यार्ड का निर्माण/विकास	17,700.00	8,850.00	50	भारत सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि अवमुक्त न किये जाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत न किये जाने के कारण।

29.			4402-102-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	880.00	880.00	100	भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण।
30.			4402-102-03 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	194.00	194.00	100	निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण।
31.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2501-101-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	20,000.00	13,390.00	67	कारण सूचित नहीं किये गये।
32.			2515-800-03 मण्डलीय विकास निगम, लखनऊ के छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान	52.98	30.79	58	कारण सूचित नहीं किये गये।
33.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-800-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्य अधिष्ठान	48,400.00	27,944.93	58	कारण सूचित नहीं किये गये।
34.			2515-102-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
35.			2702-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	459.91	274.10	60	पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने के कारण।
36.			2515-800-03 ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं	7.50	7.49	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
37.			2515-001-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)	8.80	8.80	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
38.			4216-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	46,801.67	24,961.04	53	कारण सूचित नहीं किये गये।
39.			4702-800-04 लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत बोरिंग गोदामों का निर्माण (जिला योजना)	48.00	24.00	50	समयाभाव तथा स्थानीय समस्याओं के कारण।
40.			5054-337-02 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वार्ड)	71,700.00	71,700.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
41.			5054-337-03 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (के 100/रा0) के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	1,84,600.00	1,05,903.00	57	कारण सूचित नहीं किये गये।
42.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2204-104-02 पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान	5,428.44	4,499.69	83	कारण सूचित नहीं किये गये।
43.			2235-200-03 बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को साड़ी	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
44.			2235-200-04 बी.पी.एल. परिवार के वृद्ध जन को कम्बल	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
45.			2515-101-02 निर्मल भारत अभियान	16,686.01	11,633.98	70	कारण सूचित नहीं किये गये।
46.			2515-101-05 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (के 75/रा 25-के. +रा.)	2,600.00	1,589.71	61	कारण सूचित नहीं किये गये।
47.			2515-101-06 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	55,685.00	33,956.52	61	कारण सूचित नहीं किये गये।

48.			2515-800-11 पंचायती राज चुनाव हेतु व्यवस्था	7,600.00	4,215.07	55	वास्तविक व्यय के पश्चात बचत तथा मितव्ययिता के कारण
49.			2575-192-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	16,363.40	9,226.20	56	कारण सूचित नहीं किये गये।
50.			2575-196-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	13,090.72	7,380.96	56	कारण सूचित नहीं किये गये।
51.			2575-197-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	6545.36	3690.48	56	कारण सूचित नहीं किये गये।
52.			2575-198-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	45,817.52	25,833.36	56	कारण सूचित नहीं किये गये।
53.			2575-800-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	3,500.00	3,500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
54.			4202-800-02 पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान	5,108.55	5,108.55	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
55.			4515-101-04 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (कं. 75/रा. 25-कं. +रा.)	2,600.00	2,402.67	92	कारण सूचित नहीं किये गये।
56.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-104-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	39.66	39.66	100	योजना के अंतर्गत समतुल्य केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
57.			2403-106-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	75.00	75.00	100	योजना के अंतर्गत समतुल्य केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
58.			2403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	1,144.87	890.07	78	समतुल्य केन्द्रांश तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
59.			2403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	166.10	166.10	100	केन्द्रांश प्राप्त न होने, विलम्ब से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
60.			2403-001-03 निदेशालय	13.79	13.79	100	आवश्यकता न होने के कारण।
61.			4403-101-07 पशु सेवा केन्द्र / "द" श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)	10.00	10.00	100	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
62.			4403-101-08 पशु चिकित्सालयों का निर्माण आर.आई.डी.एफ (जिला योजना)	301.00	301.00	100	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
63.			4403-101-10 जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना	400.00	400.00	100	योजना के अंतर्गत भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
64.			4403-102-03 गाय एवं भैंस विकास डेरी काम्प्लेक्स की स्थापना	51.00	51.00	100	निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने में विलम्ब के कारण।
65.			4403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	200.00	200.00	100	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
66.			4403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	157.40	152.90	97	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
67.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	2404-102-02 दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना	300.00	300.00	100	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

68.			2404-191-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	200.00	100.00	50	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
69.			6404-190-04 जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लान्ट की स्थापना हेतु पी.सी.डी.एफ. को ऋण	500.00	500.00	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
70.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	168.61	156.50	93	केन्द्र सरकार द्वारा विलम्ब से केन्द्रांश की स्वीकृति तथा केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष कम धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण।
71.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2070-003-07 प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन	57.75	31.24	54	पदों के रिक्त रहने तथा आवश्यकता न होने के कारण।
72.			4070-003-03 उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी	6,700.00	6,700.00	100	निर्माण कार्य में धन का उपयोग न होने के कारण।
73.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	4408-101-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	4,886.04	2,759.01	56	कारण सूचित नहीं किये गये।
74.	22	खेल विभाग	2204-104-10 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार	6.00	6.00	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
75.			2204-104-22 प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को, प्रतियोगिताओं का आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्तन अनुदान	5.00	5.00	100	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
76.			2204-104-29 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	5.00	5.00	100	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
77.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-09 क्राइम ब्रान्च	1,031.67	1000.00	97	कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण।
78.			2055-114-03 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र	6,286.92	3,508.35	56	मांग कम होने, सेवानिवृत्ति, नियुक्ति न होने तथा क्रय के पश्चात बचत के कारण।
79.			2235-200-07 हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजों का भुगतान	10.00	10.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
80.			2235-200-09 तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता	200.00	200.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
81.			2235-200-10 पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में मृतक/घायलों के आश्रितों/पीड़ितों का आर्थिक सहायता	400.00	243.39	61	आवश्यकता न होने के कारण।
82.			2055-800-04 भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस दल (जिला पुलिस)	0.17	0.17	100	संकेतिक प्रावधान तथा व्यय में वृद्धि होने के कारण।
83.			2235-200-06 रेल दुर्घटना में मृत घायलों के परिवारों को सहायता	0.01	0.01	100	लघु बचत के कारण।

84.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2052-091-04 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों के लिये आनुषंगिक व्यय	24.54	17.51	71	जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों द्वारा व्यय न किये जाने के कारण।
85.			3055-190-04 आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों का उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को भुगतान	400.00	307.29	77	कारण सूचित नहीं किये गये।
86.			4250-800-03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान	30.00	30.00	100	ज्जपदों से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
87.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-800-03 राज्यपाल के लिए कार का क्रय	10.00	10.00	100	वाहन क्रय न होने के कारण।
88.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-105-09 राजकीय मेडिकल कालेज, चंदौली	400.00	400.00	100	भूमि के चयन न होने के कारण।
89.			4210-105-63 पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़	287.90	287.90	100	भूमि अधिग्रहीत न होने के कारण।
90.			6075-800-03 एस0जी0पी0जी0आई0 में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रिवाल्विंग फण्ड	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
91.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-101-07 राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में योगा एवं नेचुरोपैथी यूनिट्स की स्थापना	36.75	36.75	100	शासन द्वारा अनुमति प्राप्त न होने के कारण।
92.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-102-06 होम्योपैथिक औषधि निर्माणाला/परीक्षणशाला	30.75	30.75	100	पदों का सृजन न होने के कारण।
93.			4210-800-03 राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के भवनों का निर्माण	100.00	92.99	93	संशोधित आगणन की औपचारिकतायें पूर्ण न होने से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
94.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-001-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	20.00	20.00	100	पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय के कारण।
95.			4210-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3,137.00	3,137.00	100	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण।
96.			4211-103-02 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1,02,000.00	1,02,000.00	100	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।
97.	37	नगर विकास विभाग	2053-094-05 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था	255.00	159.00	62	कारण सूचित नहीं किये गये।

98.		2070-800-04 उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	130.00	86.06	66	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण।
99.		2070-800-05 पशु वधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति	11.00	8.24	75	आर्थिक मितव्ययिता के कारण।
100.		2215-106-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	7,770.00	7,770.00	100	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
101.		2215-107-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	47,485.00	46,265.40	97	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
102.		2217-191-03 अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के. 80/रा. 10-के.+रा.)	20,097.00	11,932.42	59	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
103.		2217-192-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	500.00	492.68	99	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
104.		2217-192-03 अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के.80/रा. 10-के.+रा.)	28,000.00	27,307.32	98	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
105.		2217-193-03 अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स	48,000.00	47,087.16	98	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
106.		2217-05-191-03 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजनाओं हेतु सहायता (केन्द्र 50/राज्य 20)	73,800.00	60,721.13	82	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
107.		2217-05-191-04 नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन	500.00	500.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
108.		2217-05-191-05 तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	9,375.00	9,272.16	99	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
109.		2217-05-191-06 आर्मी एविेशन सेंटर, बरेली के निकट स्थित स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण	1,000.00	1,000.00	100	वित्तीय वर्ष के दौरान बजट का उपयोग न किये जाने के कारण।
110.		2217-05-192-03 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजनाओं हेतु सहायता (केन्द्र 50/राज्य 20)	291.00	198.57	68	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
111.		2217-05-192-04 नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन	4,500.00	4,467.22	99	भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
112.		2217-05-800-07 नगरीय परिवहन निदेशालय	200.00	200.00	100	पदों के रिक्त रहने तथा आवश्यकता न होने के कारण।
113.		2217-80-800-03 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाएं	200.00	200.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
114.		2217-80-800-04 परियोजना क्रियान्वयन इकाई (केन्द्र 100/राज्य 0)	100.00	50.00	50	समस्त पदों पर नियुक्ति न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण।

115.			2217-80-800-05 परियोजना क्रियान्वयन इकाई (केन्द्र 100/राज्य 0)	100.00	57.00	57	समस्त पदों के पर नियुक्ति न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण।
116.			2217-80-800-10 पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण	5,000.00	4,000.00	80	समस्त परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
117.			4217-800-02 राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर	1,000.00	1,000.00	100	प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
118.	40	नियोजन विभाग	2575-800-03 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	1,500.00	826.69	55	भारत सरकार द्वारा नयी परियोजना की स्वीकृति न मिलने के कारण।
119.			2575-800-04 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	3,550.76	3,150.12	89	भारत सरकार द्वारा नयी परियोजना की स्वीकृति न मिलने के कारण।
120.			2575-06-800-04 समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	40.00	26.47	66	आवश्यकता न होने के कारण।
121.			2810-800-03 बायो इनर्जी मिशन सेल	10.15	5.84	58	कारण सूचित नहीं किये गये।
122.			3451-092-07 राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था	50.00	47.15	94	कारण सूचित नहीं किये गये।
123.			3454-001-06 जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति)	18.00	9.02	50	कारण सूचित नहीं किये गये।
124.			3454-800-04 राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर	7,125.00	7,125.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
125.			4575-201-03 विद्यालय का भवन/विस्तार/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बेसिक शिक्षा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण।
126.			4575-207-03 भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपदों में बैरक, सीमा चौकी आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	10.00	10.00	100	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण।
127.			4575-800-04 होम्योपैथी चिकित्सालय केन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100	समिति द्वारा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण।
128.			4575-800-07 सामुदायिक भवनों का निर्माण	50.00	50.00	100	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा योजना के किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव न होने के कारण।
129.			4575-800-08 आयुर्वेदिक औषधालयों का भवन निर्माण	5.00	5.00	100	समिति द्वारा योजना के किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव न होने के कारण।
130.			4575-800-11 मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100	समिति द्वारा योजना के किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव न होने के कारण।
131.	43	परिवहन विभाग	3055-800-97 बाह्य सहायतित योजनाएं	20.00	20.00	100	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
132.			4059-051-04 अमेटी व फर्रुखाबाद में कार्यालय भवन का निर्माण	358.31	204.17	57	दूसरी किश्त की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण।

133.	45	पर्यावरण विभाग	3435-001-05 पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना	5.80	5.80	100	प्रयोगशाला हेतु सृजित पदों की स्वीकृति न होने के कारण।
134.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-104-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	414.00	318.17	77	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
135.			2203-105-19 आई0टी0 पालीटेक्निक	136.79	127.90	94	सृजित पदों पर भर्ती न होने के कारण।
136.			4202-104-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	7,090.00	4,161.10	59	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने कारण।
137.			4202-104-50 राजकीय पालीटेक्निक में विभिन्न निर्माण कार्य (जिला योजना)	500.00	304.35	61	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने कारण।
138.			4202-105-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,480.00	1,654.00	67	व्यय न होने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
139.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-06 रजिस्ट्रार/ निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	75.48	39.40	52	कतिपय पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर
140.			2070-800-03 उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड	35.00	32.13	92	कतिपय पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर
141.			2202-800-06 अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान	10.00	10.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
142.			2225-190-03 अल्पसंख्यकों का कल्याण	158.65	152.65	96	भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने, धनराशि की स्वीकृति न होने तथा छात्रों की संख्या कम होने के कारण।
143.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-97 वाह्य सहायतित योजनाएं	2,507.50	2,054.20	82	वास्तविक व्यय के आधार पर।
144.			2235-103-09 विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार	45.00	28.83	64	लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण।
145.			2235-103-18 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन के लिए राज्य सहायता	10.00	9.86	99	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
146.			2235-107-05 स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता	50.00	29.89	60	निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष शत-प्रतिशत व्यय होने के कारण।
147.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-093-03 कलेक्ट्रेट स्थापना	15.00	13.65	91	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा समायोजन के कारण।
148.			4059-051-48 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	3,500.00	3,500.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर।
149.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2052-090-03 दैवी आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान	52.40	31.60	60	वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण।
150.			2235-200-03 अन्य राज्य सरकारों को दैवी आपदा के समय सहायता	10.00	10.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण।
151.			2245-800-06 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	250.00	235.00	94	प्रबन्ध प्राधिकरण में कार्मिकों की नियुक्ति न होने तथा आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण।

152.			2245-800-07 जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	300.00	246.77	82	डी.डी.एम.ए. का समुचित गठन न होने के कारण।
153.			2245-800-08 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम (यूएनडीपीओ पोषित)	25.00	25.00	100	यू.एन.डी.पी. द्वारा कार्यक्रम का संचालन न होने के कारण।
154.			4250-101-05 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	500.00	500.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।
155.			4250-101-06 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	500.00	500.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।
156.			4250-101-07 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	500.00	454.00	91	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।
157.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-101-03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	66,527.84	35,402.66	53	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा समायोजन के कारण।
158.			2059-053-03 राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	30.00	30.00	100	अपरिपक्व प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
159.			2059-053-05 भू-अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	5.00	5.00	100	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
160.			2216-700-03 राजस्व परिषद के आवासीय भवनों का अनुरक्षण	6.00	6.00	100	अपरिपक्व प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
161.			2216-700-06 भू-अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के आवासीय भवनों का अनुरक्षण	5.00	5.00	100	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
162.			2029-001-03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय	5.00	5.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा समायोजन के कारण।
163.			2029-101-03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10.50	10.06	96	वास्तविक व्यय के आधार पर।
164.			4059-800-10 राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य	8.00	8.00	100	अपरिपक्व प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
165.			4059-60-051-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	151.81	125.53	83	वास्तविक व्यय के आधार पर।
166.			6003-106-03 ब्याज वाले बन्ध पत्र	5.00	5.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।
167.			6003-106-04 बिना ब्याज वाले बन्ध पत्र	5.00	5.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।
168.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-06 राज्य एकीकरण के परिषद उपाध्यक्ष को देय सुविधायें	8.60	8.60	100	उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण।
169.			2070-800-08 महान विभूतियों के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	18.10	69	जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण।

170.			2070-800-09 जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	9.03	60	जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण।
171.			2070-800-13 अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नगद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)	15.00	8.50	57	आयुक्त द्वारा धनराशि का उपयोग न होने के कारण।
172.			2070-800-14 राज्य एकीकरण के परिषद् अध्यक्ष को सुविधायें	12.95	12.95	100	अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण।
173.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-800-05 लोक निर्माण विभाग में आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय के लिए	0.02	0.02	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
174.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	4575-800-12 बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3,750.00	2,013.00	54	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने कारण।
175.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-337-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	45,000.00	39,804.95	88	कारण सूचित नहीं किये गये।
176.	60	वन विभाग	4406-02-110-05 सारनाथ में सिंचाई विभाग की भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण (सी0सी0एल0 प्रणाली)	124.00	124.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
177.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-101-37 वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	47,400.00	24,098.80	51	अल्प ऋण और अवशेष ब्याज के भुगतान के कारण।
178.			6003-110-03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	10,00,000.00	8,26,804.60	83	व्यय न होने के कारण।
179.	67	विधान परिषद सचिवालय	2011-102-03 विधान परिषद्	57.49	29.63	52	माननीय उपसभापति का पद रिक्त होने के कारण।
180.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-101-03 विधान सभा	124.89	79.61	64	आर्थिक मितव्ययिता, आवश्यकता न होने और माननीय उपसभापति का पद रिक्त रहने के कारण।
181.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-053-04 प्राइमरी तथा जू0 हा0 स्कूलों के भवनों के रख रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
182.			2202-102-31 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा	500.03	494.83	99	कारण सूचित नहीं किये गये।
183.			2202-105-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,256.76	642.26	51	कारण सूचित नहीं किये गये।
184.			2202-105-11 साक्षर भारत मिशन-2012	203.24	121.49	60	कारण सूचित नहीं किये गये।
185.			2202-800-03 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के राज्य सरकार का अंशदान	72.14	36.54	51	कारण सूचित नहीं किये गये।
186.			4202-201-08 सर्व शिक्षा अभियान	17,187.98	9,743.27	57	कारण सूचित नहीं किये गये।
187.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-800-19 कन्या विद्या धन योजना	100.00	100.00	100	व्यय न होने के कारण।
188.			2202-800-24 12 वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप उपलब्ध कराया जाना	100.00	100.00	100	योजना के स्थगित होने के कारण।

189.			4202-202-27 नये सैनिक स्कूलों की स्थापना	600.00	600.00	100	व्यय न होने के कारण।
190.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-102-26 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर	5.00	5.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
191.			2202-102-32 इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेतु अनुदान	20.00	17.00	85	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
192.			2202-102-33 अन्तर्विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान	20.00	13.50	68	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
193.			2202-102-49 सेण्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना	300.00	235.74	79	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
194.			2202-104-13 उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना	200.00	162.89	81	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
195.			2202-800-06 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम	2,008.44	1,403.79	70	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण।
196.			4202-203-06 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण	200.00	111.03	56	दो क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
197.			4202-203-08 अरबी फारसी विश्वविद्यालय	2,000.00	1,056.05	53	कारण सूचित नहीं किये गये।
198.			4202-203-15 राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं हेतु व्यवस्था	100.01	100.01	100	टोकन धनराशि होने के कारण।
199.			4202-203-31 जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना	1,000.00	1,000.00	100	भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
200.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-800-06 परीक्षा नियामक कार्यालय, इलाहाबाद हेतु टी0ई0टी0 चयन, बी0टी0सी0 परीक्षा चयन एवं बी0टी0सी0 परीक्षा कराये जाने हेतु	2,027.76	2,027.76	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
201.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-103-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	860.00	770.01	90	केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त न होने तथा भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
202.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	2230-800-04 समायोजन लेखा	20,766.31	20,766.31	100	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
203.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी	25.00	16.13	65	वास्तविक व्यय के आधार पर।
204.			2052-090-04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार	10.00	8.03	80	पुस्तकों को क्रय किये जाने की औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण।
205.			2052-090-05 संसदीय कार्य विभाग	11.70	6.59	56	वास्तविक व्यय के आधार पर।
206.			2251-090-04 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	21.10	11.55	55	वास्तविक व्यय, आर्थिक मितव्ययिता के आधार पर।

207.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-277-08 पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण	168.51	162.24	96	व्यय न होने के कारण।
208.			2225-800-04 पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह एवं बीमारी हेतु आर्थिक सहायता	100.00	100.00	100	वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना के स्थगित होने के कारण।
209.			4225-277-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,425.92	2,425.92	100	केन्द्रांश प्राप्त न होने/प्रस्तावित योजना का आगणन न होने से स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
210.			4235-101-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,500.00	1,822.58	73	वास्तविक व्यय के कारण।
211.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-277-06 चिकित्सा, अभियंत्रण तथा टेक्नालोजी विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता	25.00	25.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।
212.			2225-277-10 अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	100.00	100.00	100	अपर्याप्त धनराशि के कारण।
213.			2225-277-20 सफाई कर्मी, चर्मकार जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	100.00	100.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
214.			2225-800-05 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)	100.00	100.00	100	अपर्याप्त धनराशि के कारण।
215.			2225-80-102-03 डा0 अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना	14.80	14.80	100	कोई व्यय न होने के कारण।
216.			2235-800-03 कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता	27.81	14.72	53	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
217.			2235-200-03 आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति	1,664.00	1,511.97	91	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
218.			2235-200-05 सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण	108.00	85.00	79	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
219.			2235-800-03 आवासीय संस्थानों की पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	23.67	13.10	55	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।

220.			2235-102-03 वृद्धावस्था/किसान पेंशन	11,651.23	11,389.78	98	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
221.	81	समाज कल्याण विभाग	2515-796-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	49.75	49.39	99	कारण सूचित नहीं किये गये।
222.		(जनजाति कल्याण)	2515-796-02 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	467.02	300.66	64	कारण सूचित नहीं किये गये।
223.			4515-796-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	7.26	7.26	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
224.	83	समाज कल्याण विभाग	2202-789-06 कन्या विद्या धन योजना	100.00	100.00	100	व्यय न होने के कारण।
225.		(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2230-789-03 आई0टी0आई0 अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र	120.04	61.73	51	वास्तविक व्यय के आधार पर।
226.			2230-789-05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	107.09	83.09	78	मांग न होने के कारण।
227.			2235-789-09 बी0पी0एल0 परिवार की महिला हेतु साड़ी	100.00	100.00	100	विशेष कारण सूचित नहीं किये गये।
228.			2235-789-10 बी0पी0एल0 परिवार के वृद्ध जन को कम्बल	100.00	100.00	100	विशेष कारण सूचित नहीं किये गये।
229.			2403-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	632.00	341.59	54	योजना के अंतर्गत केन्द्रांश की प्राप्ति न होने तथा वैक्सीन क्रय न किये जाने के कारण।
230.			2515-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	19,905.72	16,373.95	82	कारण सूचित नहीं किये गये।
231.			2852-789-04 निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे परियोजनायें	63.63	63.63	100	ई.पी.सी.मोड पर आगरा से लखनऊ कन्ट्रोल "एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के कार्यान्वित होने से धनराशि का आहरण न होने के कारण।
232.			4235-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,000.00	2,000.00	100	नये मानक निर्धारित न होने के कारण।
233.			4515-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	750.00	697.34	93	कारण सूचित नहीं किये गये।
234.			4810-789-04 सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना	1,336.39	999.04	75	सौर ऊर्जा परियोजना के संचार लाइन के निर्माण में बजट प्रावधान व्यय न होने के कारण।
235.			6215-789-03 नया सवेरा नगर विकास योजना	30,000.00	17,933.05	60	चालू वित्तीय वर्ष में निगम से प्रस्ताव न होने से स्वीकृति निर्गत न किये जाने के कारण।
236.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	2250-101-04 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अनुदान	50.00	28.50	57	कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु योग्य पाये गये मात्र 43 तीर्थयात्रियों पर हुए व्यय के कारण।
237.	86	सूचना विभाग	2220-103-04 टेलीप्रिंटर योजना	16.71	16.24	97	टेलीप्रिंटर आपरेटरों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति न

							होने, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के प्रकरणों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति प्राप्त न हो सकने के कारण।
238.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-10 प्रदेश के व्यापारियों को ऑन-लाइन सुविधायें एवं करापवंचन रोकने के लिए आई0टी0 विजन डायग्राम तैयार करने की योजना	20.65	20.65	100	कोई व्यय न होने कारण।
239.			2040-800-03 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	10.00	9.40	94	वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण।
240.			4059-800-03 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	20.00	20.00	100	कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
241.	92	संस्कृति विभाग	4202-106-04 तेरहत्तें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन	5,700.00	2,858.73	50	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
242.			4202-106-09 महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण	50.00	50.00	100	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
243.			4202-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	600.00	500.00	83	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
244.			4202-800-03 प्रेक्षागृह/खुला मंच का निर्माण	300.00	211.24	70	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
245.			4202-800-07 राजापुर चित्रकूट स्थित तुलसी स्मारक प्रांगण में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
246.			4202-800-08 आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र भवन का निर्माण	50.00	50.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
247.			4202-800-09 जनपद इलाहाबाद में जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय की स्थापना	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
248.			4202-800-33 उत्तर प्रदेश अभिलेखागार, लखनऊ, परिसर में आर्काइवल गैलरी निर्माण	200.00	200.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
249.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-800-05 तेरहत्तें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	43,833.92	43,833.92	100	धनराशि के उपयोग न होने के कारण।
250.			2701-800-12 तेरहत्तें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	21,004.58	21,004.58	100	धनराशि के उपयोग न होने के कारण।
251.			2702-800-05 तेरहत्तें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	3,361.50	3,361.50	100	धनराशि के उपयोग न होने के कारण।
252.			4701-08-051-10 नहरें	600.00	300.00	50	मुख्य अभियंता द्वारा बचत धनराशि के अभ्यर्पण किये जाने के कारण।
253.			4701-84-050-10 नहरें	3,200.00	2,359.77	74	मुख्य अभियंता द्वारा धनराशि के अभ्यर्पण तथा मांग न होने के कारण।
254.			4701-92-051-10 नहरें	5,675.63	4,042.10	71	परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण।
योग				24,13,560.68	18,90,091.59		
				अथवा 24,135.61 करोड़	अथवा 18,900.92 करोड़		

परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक) (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.9 पृष्ठ)
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान / विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
राजस्व-दत्तमत						
1.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,974.49	399.75	410.40	10.65
2.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,567.37	2,368.27	2,372.24	3.97
3.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	597.08	105.53	106.40	0.87
4.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,897.78	337.40	571.72	234.32
निवल योग			12,036.72	3,210.95	3,460.76	249.81
पूँजीगत-दत्तमत						
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,423.68	2,017.90	2,100.69	82.79
6.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	843.87	74.50	76.56	2.06
7.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	63.79	00	0.59	0.59
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	865.77	110.84	123.58	12.74
9.	37	नगर विकास विभाग	1,633.20	81.86	149.52	67.66
10.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	270.00	28.82	35.13	6.31
11.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	346.41	69.77	70.94	1.17
12.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	24.34	3.90	6.15	2.25
निवल योग			14,471.06	2,387.59	2,563.16	175.57
महायोग			26,507.78	5,598.54	6,023.92	425.38

परिशिष्ट 2.8	अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10 पृष्ठ)
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	बचत (₹ करोड़ में)	
			राजस्व	पूँजीगत
I – अनुदान				
1.	9	ऊर्जा विभाग	1.27	1,615.00
2.	25	गृह विभाग (कारागार)	24.61	0.35
3.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	672.14	93.86
4.	42	न्याय विभाग	330.65	153.89
5.	44	पर्यटन विभाग	7.40	12.01
6.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	640.44
7.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	-	116.75
8.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	3,829.53	97.63
9.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	47.11	1.73
10.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	169.83	4.93
11.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	664.63
योग			5,082.54	3,401.22
II – विनियोग				
12.	2	आवास विभाग	4.25	-
13.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	-	1.10
14.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.06	-
15.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	-
16.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	-
17.	42	न्याय विभाग	35.31	8.13
18.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	-
19.	60	वन विभाग	0.07	-
20.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	5.63	-
21.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	4.72
योग			45.64	13.95
महायोग			5,128.18	3,415.17
राजस्व और पूँजी का योग			8,543.35	

परिशिष्ट 2.9	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10 पृष्ठ)
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत, जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया
राजस्व – दत्तमत					
1.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	25.26	5.15	20.11
2.	9	ऊर्जा विभाग	1.27	0.00	1.27
3.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	425.39	418.48	6.91
4.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	34.34	13.15	21.19
5.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	25.35	12.36	12.99
6.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	42.37	4.43	37.94
7.	25	गृह विभाग (कारागार)	24.61	0.00	24.61
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	994.09	930.93	63.16
9.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	40.19	35.84	4.35
10.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	672.14	0.00	672.14
11.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	210.71	205.90	4.81
12.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	190.08	7.33	182.75
13.	37	नगर विकास विभाग	2,762.12	2,711.51	50.61
14.	42	न्याय विभाग	330.65	0.00	330.65
15.	44	पर्यटन विभाग	7.40	0.00	7.40
16.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	815.40	38.45	776.95
17.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	370.04	307.70	62.34
18.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	205.51	18.73	186.78
19.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,265.68	174.96	1,090.72
20.	60	वन विभाग	67.22	0.34	66.88
21.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	109.64	107.84	1.80
22.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	3,829.53	0.00	3,829.53
23.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	47.11	0.00	47.11
24.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	38.47	5.75	32.72
25.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	169.83	0.00	169.83
26.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4,390.54	4,386.70	3.84
27.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	787.75	7.88	779.87
28.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	422.39	23.11	399.28
29.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	50.45	32.35	18.10
30.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	602.33	40.28	562.05
31.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	1,612.85	189.05	1,423.80
32.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	77.87	3.99	73.88

33.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2,509.94	279.65	2,230.29
34.	86	सूचना विभाग	96.00	9.30	86.70
35.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	745.95	682.20	63.75
36.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	739.30	706.16	33.14
योग			24,739.77	11,359.52	13,380.25
पूँजीगत-दत्तमत					
37.	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1.80	0.72	1.08
38.	9	ऊर्जा विभाग	1,615.00	0.00	1,615.00
39.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2,192.04	2,181.79	10.25
40.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	93.86	0.00	93.86
41.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4.20	3.10	1.10
42.	41	निर्वाचन विभाग	3.81	1.45	2.36
43.	42	न्याय विभाग	153.89	0.00	153.89
44.	44	पर्यटन विभाग	12.01	0.00	12.01
45.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	640.44	0.00	640.44
46.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	100.13	97.97	2.16
47.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	116.75	0.00	116.75
48.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	97.63	0.00	97.63
49.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	1.73	0.00	1.73
50.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	4.93	0.00	4.93
51.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	356.71	6.00	350.71
52.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	20.64	0.54	20.10
53.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,634.76	351.19	1,283.57
54.	92	संस्कृति विभाग	45.86	44.75	1.11
55.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	664.63	0.00	664.63
योग			7,760.82	2,687.51	5,073.31
राजस्व-भारित					
56.	2	आवास विभाग	4.25	0.00	4.25
57.	42	न्याय विभाग	35.31	0.00	35.31
58.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	3,211.79	309.29	2,902.50
59.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	5.63	0.00	5.63
योग			3,256.98	309.29	2,947.69
पूँजीगत-भारित					
60.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.10	0.00	1.10
61.	42	न्याय विभाग	8.13	0.00	8.13
62.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	9,971.46	8,268.05	1,703.41
63.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4.72	0.00	4.72
योग			9,985.41	8,268.05	1,717.36
महायोग			45,742.98	22,624.37	23,118.61

परिशिष्ट 2.10	व्यय का अतिरेक (संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12 पृष्ठ)
--------------------------	-----------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल बजट	मार्च में कुल व्यय (सकल)	प्रतिशतता
राजस्व				
2049	ब्याज अदायगियाँ	18,892.50	6,672.39	35.32
2202	सामान्य शिक्षा	39,396.03	4,633.16	11.76
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,220.60	3,311.78	25.05
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,896.71	2,849.72	58.20
3054	सड़क तथा सेतु	4,242.08	2,290.49	53.99
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	11,038.37	2,091.45	18.95
2055	पुलिस	11,305.35	1,635.24	14.46
2515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	7,967.00	1,488.91	18.69
2211	परिवार कल्याण	4,186.56	1,397.40	33.38
2801	ऊर्जा	12,243.44	1,151.89	9.41
2217	शहरी विकास	4,439.03	1,140.02	25.68
2071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	26,124.51	1,057.72	4.05
2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7,185.36	963.11	13.40
2425	सहकारिता	1,184.30	720.00	60.80
2401	फसल कृषि-कर्म	2,625.21	545.15	20.77
2701	मध्यम सिंचाई	4,170.05	360.34	8.64
2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,091.35	346.48	31.75
2230	श्रम एवं रोजगार	1,517.05	329.26	21.70
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	434.04	320.86	73.92
2215	जलापूर्ति एवं सफाई	1,133.10	246.24	21.73
2029	भू-राजस्व	2,167.52	184.44	8.51
2059	लोक निर्माण कार्य	1,931.76	183.86	9.52
2014	न्याय प्रशासन	1,725.97	175.85	10.19
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,034.34	126.68	12.25
2402	मृदा एवं जल संरक्षण	787.71	112.89	14.33
2403	पशुपालन	746.27	101.92	13.66
2053	जिला प्रशासन	795.87	96.89	12.17

2702	लघु सिंचाई	1,583.73	81.96	5.18
2056	कारागार	523.80	75.12	14.34
2700	मुख्य सिंचाई	894.80	74.14	8.29
2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	591.79	69.89	11.81
2030	स्टाम्प और पंजीकरण	232.13	68.70	29.60
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	175.00	68.15	38.94
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	398.55	61.25	15.37
2015	चुनाव	271.50	55.89	20.59
2852	उद्योग (1)	736.93	55.34	7.51
2040	बिक्री एवं व्यापार, इत्यादि पर कर	581.17	46.30	7.97
2203	तकनीकी शिक्षा	293.71	44.14	15.03
2705	कमांड क्षेत्र विकास	300.01	40.75	13.58
2204	खेलकूद तथा युवा सेवायें	221.04	35.92	16.25
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	98.71	35.57	36.03
3055	सड़क परिवहन	167.77	34.94	20.83
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन	293.06	29.87	10.19
3454	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	200.59	27.12	13.52
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	135.84	26.15	19.25
2052	सचिवालय-सामान्य सेवायें	436.95	24.20	5.54
2405	मछली पालन	92.46	21.99	23.78
2216	आवास	69.31	19.88	28.68
2415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	158.14	16.37	10.35
2013	मंत्री परिषद	158.83	15.78	9.94
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	142.10	15.17	10.68
2039	राज्य आबकारी	136.07	15.09	11.09
2408	खाद्य भण्डारण एवं भण्डागारण	160.55	14.99	9.34
2220	सूचना एवं प्रचार	170.06	13.33	7.84
2404	दुग्धशाला विकास	89.53	13.01	14.53
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	104.63	12.71	12.15
2205	कला तथा संस्कृति	65.36	11.60	17.75
3452	पर्यटन	39.37	9.74	24.74
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	909.23	8.35	0.92
2075	विविध सामान्य सेवायें	43.59	7.97	18.28
2051	लोक सेवा आयोग	52.86	6.62	12.52
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	32.70	6.45	19.72
3435	पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	10.23	6.36	62.17
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवायें	118.43	4.00	3.38

2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	27.40	3.55	12.96
3456	नागरिक आपूर्ति	40.41	3.37	8.34
2047	अन्य राजकोषीय सेवायें	26.35	2.01	7.63
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवायें	90.02	1.49	1.66
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य व्यय	21.79	1.21	5.55
2250	अन्य सामाजिक सेवायें	11.02	1.01	9.17
2012	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	11.71	0.55	4.70
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	15.75	0.49	3.11
2407	बागान	5.39	0.47	8.72
3053	नागरिक उड्डयन	2.80	0.32	11.43
2041	वाहन कर	0.73	0.08	10.96
3453	विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	0.07	0.00	0.00
2506	भूमि सुधार	0.04	0.00	0.00
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	7,698.94	0.00	0.00
2245	प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	692.19	-514.06	-74.27
योग		2,05,817.22	35,209.44	
पूँजीगत				
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	14,350.43	6,607.95	46.05
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	18,251.78	5,926.87	32.47
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,000.00	2,000.00	100
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	6,077.48	1,705.62	28.06
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	3,537.43	1,251.40	35.38
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,123.91	1,073.48	50.54
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,492.24	631.85	25.35
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,195.94	600.67	50.23
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2,184.66	577.67	26.44
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	942.75	530.38	56.26
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय	8,218.61	529.02	6.44
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,286.51	428.29	33.29
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	738.33	350.80	47.51
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,215.50	341.60	28.1
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	635.48	338.23	53.22
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4,515.00	302.21	6.69
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	853.77	290.56	34.03
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	764.03	285.99	37.43
5053	नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	282.00	268.12	95.08
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	353.79	191.76	54.2

4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	542.43	174.21	32.12
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	163.85	138.14	84.31
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	373.78	96.34	25.77
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	160.07	70.86	44.27
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	865.60	54.57	6.3
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	147.60	47.74	32.34
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	94.85	29.67	31.28
4403	पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	98.58	24.06	24.41
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय	308.68	17.92	5.81
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	53.36	11.19	20.97
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	10.00	10.00	100
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	25.61	9.60	37.49
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7.06	6.23	88.24
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	8.34	6.13	73.5
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5.73	0.68	11.87
4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	10.74	-	0
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	26.71	-	0
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,300.00	-	0
योग		76,222.63	24,929.81	

परिशिष्ट 2.11	समीक्षित अनुदान का सार (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.4; पृष्ठ)
--------------------------	-----------------------------------------------------------------

(₹ हजार में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत	लेखाशीर्ष
अनुदान संख्या 21 – खाद्य एवं रसद विभाग					
राजस्व-दत्तमत					
मूल	22,94,987	24,35,663	21,82,195	2,53,468	मुख्यशीर्ष 2075, 2408, 3456, 3475
अनुपूरक	1,40,676				
राजस्व-भारित					
मूल	350	350	276	74	मुख्यशीर्ष 2075, 2408, 3456, 3475
अनुपूरक	00				
पूँजीगत-दत्तमत					
मूल	7,77,65,084	7,77,65,084	5,58,44,664	2,19,20,420	मुख्यशीर्ष 4059, 4408
अनुपूरक	00				
पूँजीगत- भारित					
मूल	46,06,082	46,06,082	41,90,037	4,16,045	मुख्यशीर्ष 4059, 4408
अनुपूरक	00				
योग	8,48,07,179	8,48,07,179	6,22,17,172	2,25,90,007	

(स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट 2.12	पेंशन की असंवितरित धनराशि जो शासकीय लेखे में जमा नहीं की गयी (संदर्भ: प्रस्तर 2.5.1; पृष्ठ 59)
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	असंवितरित धनराशि (₹)	क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	असंवितरित धनराशि (₹)
1.	बलिया	26	4,30,928.00	27.	बहराइच	25	7,69,782.00
2.	बलरामपुर	16	2,24,941.00	28.	कन्नौज	06	39,814.00
3.	इटवा	07	99,848.00	29.	औरैया	06	77,849.00
4.	सीतापुर	06	44,473.00	30.	फर्रुखाबाद	06	97,698.00
5.	झांसी	10	21,762.00	31.	जालौन	01	3,242.00
6.	आगरा	08	1,45,878.00	32.	अलीगढ़	20	2,42,367.00
7.	कासगंज	05	39,854.00	33.	आजमगढ़	12	1,23,577.00
8.	पीलीभीत	17	2,65,078.00	34.	गोंडा	24	1,93,923.00
9.	रायबरेली	12	1,95,318.00	35.	हरदोई	46	16,42,236.00
10.	बुलन्दशहर	11	1,73,059.00	36.	प्रतापगढ़	10	4,53,393.00
11.	उन्नाव	18	3,74,753.00	37.	सिविल लाइन्स, इलाहाबाद	10	1,49,486.00
12.	बस्ती	15	3,13,063.00	38.	मिर्जापुर	17	3,53,329.00
13.	रामपुर	02	48,073.00	39.	गाजीपुर	27	8,19,526.00
14.	कौशाम्बी	08	1,24,417.00	40.	लखीमपुर खीरी	13	4,19,109.00
15.	सोनभद्र	05	71,129.00	41.	देवरिया	10	1,72,713.00
16.	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	08	98,063.00	42.	चन्दौली	17	3,67,487.00
17.	गोरखपुर	12	2,22,488.00	43.	मुरादाबाद	09	81,500.00
18.	भदोही	17	1,70,746.00	44.	बदायूँ	06	48,902.00
19.	गाजियाबाद	12	3,95,890.00	45.	महाराजगंज	03	56,718.00
20.	शाहजहाँपुर	12	2,34,311.00	46.	वाराणसी	18	4,88,265.00
21.	कुशीनगर	03	51,385.00	47.	अम्बेडकर नगर	01	1,913.00
22.	संत कबीर नगर	02	5,697.00	48.	बांदा	02	16,128.00
23.	जे.पी. नगर	02	54,725.00	49.	फैजाबाद	03	25,562.00
24.	मेरठ	07	1,68,377.00	50.	श्रावस्ती	02	8,962.00
25.	जौनपुर	26	6,32,885.00	51.	फतेहपुर	10	71,297.00
26.	मथुरा	32	6,00,648.00	52.	कानपुर नगर	09	1,32,812.00
योग						612	1,20,65,379.00 अथवा 120.65 लाख

परिशिष्ट 2.13	नई पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रान का आवंटन न किया जाना (संदर्भ: प्रस्तर 2.5.3; पृष्ठ)
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

क्र० सं०	कोषागार का नाम	कर्मचारियों की संख्या	आवंटित प्रान	प्रान आवंटन हेतु प्रतीक्षित
1.	बलिया	1,057	1,040	17
2.	मऊ	3,160	3,129	31
3.	बलरामपुर	2,675	2,591	84
4.	औरैया	1,473	1,408	65
5.	सीतापुर	3,604	2,743	861
6.	जालौन	3,031	2,731	300
7.	आजमगढ़	7,844	7,464	380
8.	बुलन्दशहर	3,100	2,243	857
9.	सिविल लाइन्स, इलाहाबाद	2,611	2,328	283
10.	इलाहाबाद (कलेक्ट्रेट)	7,919	4,838	3,081
11.	लखीमपुर खीरी	4,015	3,800	215
12.	फिरोजाबाद	2,375	2,170	205
13.	देवरिया	4,193	3,295	898
14.	गोरखपुर	6,350	4,581	1,769
15.	मुरादाबाद	5,153	5,082	71
16.	गाजियाबाद	4,658	3,786	872
17.	महाराजगंज	2,724	2,654	70
18.	वाराणसी	4,186	4,045	141
19.	अम्बेडकर नगर	3,358	690	2,668
20.	बागपत	1,337	1,313	24
21.	संत कबीर नगर	2,784	2,759	25
22.	मेरठ	4,639	3,433	1,206
योग			68,123	14,123

i f j f' k" V 3-1	foHkkxh; okf.kfT; d , oa v) l okf.kfT; d mi Øeka ds ys[kkvka dk vfrehdj .k vksj fuos' kka dk fooj .k (संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ)
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø0 I Ø	mi Øe dk uke	ys[kkvka ds vfrehdj .k dk o"l	foxr vfre ys[ks ds vuq kj fuos' k (₹ djkm+e)
fl pkbz foHkkx			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2014-15	0.27
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2014-15	0.44
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2014-15	2.38
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2014-15	0.49
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2014-15	1.54
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2014-15	1.78
lk' kj kyu foHkkx			
7.	राजकीय पशुधन सह कृषि फार्म	2010-11	24.85
[kk , oa j l n foHkkx			
8.	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2011-12	2,617.93
LokLF; foHkkx			
9.	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1990-91	उपलब्ध नहीं
			; kx
			2,649.68

lkj f' k"V 3-2	nfofu; ks] xcu vkfn ds foHkkxokj@o"kbkj idj.kka dk foj.k ½tuea vfire dk; bkg h epl 2015 rd yfEcr Fkh½ (संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ)
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dkdBd ea vkqM\$ ₹ yk[k ea inf'kr gA)

Ø0 Lk0	foHkkx dk uke	5 o"kz rd	5 l s 10 o"kz rd	10 l s 15 o"kz rd	15 l s 20 o"kz rd	20 l s 25 o"kz rd	25 o"kz l s vf/kd	idj.kka dk ; ks
1.	कृषि विभाग	-	-	4 (9.09)	-	-	-	4 (9.09)
2.	पशुपालन विभाग	-	-	1 (3.20)	3 (0.79)	6 (0.72)	6 (1.84)	16 (6.55)
3.	सहकारिता विभाग	-	-	-	2(1.45)	-	-	2(1.45)
4.	शिक्षा विभाग	1 (1.60)	4(111.34)	-	1 (5.00)	-	-	6 (117.94)
5.	मत्स्य विभाग	1 (1.01)	-	-	-	2 (1.60)	-	3 (2.61)
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1 (3.06)	-	4 (16.42)	4 (9.30)	9 (28.78)
7.	सिंचाई विभाग	5 (110.94)	8 (0.24)	4 (0.35)	24 (9.50)	-	-	41 (121.03)
8.	न्याय विभाग	-	1 (4.44)	-	-	-	-	1 (4.44)
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3 (331.78)	3 (331.78)
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	1 (3.87)	3 (2.45)	7 (9.57)	11 (15.89)
11.	पुलिस विभाग	1 (0.00)	1(4.00)	-	-	1 (1.21)	3 (2.89)	6 (8.10)
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	1 (47.48)	-	1 (0.51)	2 (47.99)
13.	लोक निर्माण विभाग	3 (50.52)	6 (96.87)	1 (0.98)	-	-	-	10 (148.37)
14.	राजस्व विभाग	1 (6.68)	-	-	1 (1.72)	-	3 (6.09)	5(14.49)
15.	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	2(0.63)	1(1.02)	9 (2.19)	12 (3.84)
16.	समाज कल्याण विभाग	1 (4.44)	-	-	1 (0.25)	-	2 (0.70)	4 (5.39)
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1 (11.59)	-	-	-	1 (11.59)
18.	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1 (1.01)	1 (1.01)
19.	उद्यान विभाग	-	1 (3.59)	-	-	-	-	1 (3.59)
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1 (0.67)	1 (0.67)
	; ks	13 (175.19)	21 (220.48)	12 (28.27)	36 (70.69)	17 (23.42)	40 (366.55)	139 (884.60)

i f j f' k"V 3-3	pkj h] nfofu; ksx] भासकीय I kefxz; ka dh gkfu , oa xcu ds dkj .k jkt; I jdkj dks gpz {kfr ds ixdj .kka dk foHkkxokj @Js khokj fooj .k (संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ)
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ yk[k e9

foHkkx dk uke	pkj h ds ixdj .k		nfofu; ksx ds ixdj .k		gkfu ds ixdj .k		xcu ds ixdj .k		; ksx	
	ixdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	ixdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	ixdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	ixdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	ixdj .k dh l a[; k	/kujkf' k
कृषि विभाग	1	1.47	1	5.45	2	2.17	-	-	4	9.09
पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8	11.91	-	-	-	-	3	3.98	11	15.89
पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.01	4	4.09	6	8.10
पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	7	146.74	-	-	10	148.37
राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
ग्राम्य विकास विभाग	5	1.38	-	-	1	0.14	6	2.32	12	3.84
समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
; ksx	65	42.90	8	58.73	23	171.27	43	611.70	139	884.60

i f j f ' k " V 3-4	0k"kl 2014&15 ea foHkxokj fuLrkfjr@ vi yf[kr fd, x, i xdj .kka dk foLr'r fooj .k (संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ)
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ yk[k e)

ØØ LkØ	foHkx dk uke	i kf/kdkjh	Lkf{klr fooj .k	i xdj .kka dh l a[; k	/kuj kf' k
1.	मत्स्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य, झांसी की वाहन संख्या यू.टी.पी.-7398 की दुर्घटना से हानि।	एक	0.47
2.	लोक निर्माण विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.डी. मैनपुरी के कैश चेस्ट में धनराशि का कम पाया जाना।	एक	2.94
3.	लोक निर्माण विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.डी. मैनपुरी में श्री ए.सी. पाण्डे, अवर अभियन्ता के नाम फर्जी अस्थायी अग्रदाय।	एक	3.22
				; ksx	6.63

lkfj' k"V 3-5	Yk?kq 'kh"z '800&vU; i kflr; k; ds varx' i qrkfdr eq; 'kh"z'kj i kflr; k; dk foj .k (संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ)
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

eq; 'kh"z	eq; 'kh"z dk foj .k	dy i kflr	Yk?kq 'kh"z '800&vU; i kflr; k; ds varx' i kflr; k;	lkfr' krrk
1452	पर्यटन	0.99	1.62	163.64(*)
0801	ऊर्जा	967.87	967.87	100
0217	शहरी विकास	85.48	85.48	100
0023	होटल प्राप्ति कर	43.29	43.29	100
0810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	6.60	6.60	100
0506	भूमि सुधार	5.94	5.94	100
1456	नागरिक आपूर्ति	3.44	3.44	100
0852	उद्योग	1.74	1.74	100
0575	अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.30	0.30	100
0415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.17	0.17	100
0875	अन्य उद्योग	0.10	0.10	100
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.06	0.06	100
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	209.71	208.84	99.59
0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	58.66	58.16	99.15
0075	विविध सामान्य सेवाएँ	6,400.41	6,297.93	98.40
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	415.06	397.08	95.67
1055	सड़क परिवहन	8.15	7.59	93.13
0071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में अंशदान	53.17	49.37	92.85
0029	भू-राजस्व	527.23	482.04	91.43
1053	नागरिक उड्डयन	0.18	0.16	88.89
0230	श्रम तथा रोजगार	66.75	57.80	86.59
0059	लोक निर्माण	82.95	69.51	83.80
1054	सड़क तथा सेतु	587.41	490.80	83.55
0220	सूचना तथा प्रचार	0.12	0.10	83.33
0211	परिवार कल्याण	0.30	0.24	80.00
0403	पशुपालन	38.76	30.98	79.93
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	32,691.48	23,100.21	70.66
0056	कारागार	5.07	3.35	66.07
0055	पुलिस	254.29	132.73	52.20
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	281.89	144.34	51.20
0700	मुख्य सिंचाई	5.08	2.56	50.39

(*) यह लघुशीर्ष 900- घटाएँ वापसियाँ के अंतर्गत ₹ 0.84 करोड़ की वापसियों के कारण है।

lkfj f' k"V 3-6	Yk?kq ' kh"kz '800&vU; 0; ; ' ds vrxr i rkrfdr eq; ' kh"kbkj 0; ; dk foofj .k (संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ)
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(₹ करोड़ में)

eq; ' kh"kz	eq; ' kh"kz dk foofj .k	dy 0; ;	Yk?kq ' kh"kz '800&vU; 0; ; ' ds vrxr 0; ;	lkfr'krnk
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	122.31	183.92	150.37(क)
2245	प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	487.10	659.89	135.47(*)
2801	ऊर्जा	12,242.44	12,242.44	100
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	507.60	507.60	100
5053	नागरिक उद्भयन पर पूंजीगत परिव्यय	278.42	278.42	100
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	275.76	275.76	100
2705	कमांड क्षेत्र विकास	164.88	164.88	100
4859	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	25.41	25.41	100
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधारन पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00	100
4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	6.23	6.23	100
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.03	5.03	100
2407	बागान	4.75	4.75	100
2885	उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	1.54	1.54	100
2041	वाहनों पर कर	0.61	0.61	100
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	430.07	379.62	88.27
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,081.99	885.94	81.88
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	601.46	459.80	76.45
2425	सहकारिता	1,128.53	853.29	75.61
2405	मत्स्य पालन	72.62	53.67	73.91
4217	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय	871.48	475.15	54.52
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4,996.26	2,672.65	53.49
3452	पर्यटन	31.97	16.77	52.46
2211	परिवार कल्याण	3,936.82	2,006.48	50.97

(क) यह पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 475.52 करोड़) के कारण है जिसे इस शीर्ष के अंतर्गत ऋणात्मक व्यय के रूप में लिया गया है।

(*) यह लघु शीर्ष 901-घटाएं वापसियां के अन्तर्गत ₹ 651.23 करोड़ की वापसियों के कारण है।